



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 23 जनवरी, 2021 ई० (माघ ३, 1942 शक संवत्)

### भाग ८

सरकारी कागज-पत्र, दबाई हुई रुई की गाँठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### कार्यालय, नगर निगम, लखनऊ

०१ दिसम्बर, 2020 ई०

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या २ सन् 1959) की धारा 305, 306 एवं 452 में प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत नगर निगम सीमा क्षेत्र में लगे आकाश चिन्ह, विज्ञापनों का विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञाप्ति शुल्क वसूली हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(41, 48), 542, 543 के अंतर्गत प्रस्तावित उपविधि, 2018 का पांडुलेख तैयार कर प्रमुख दैनिक समाचार-पत्रों क्रमशः हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान टाइम्स, अमर उजाला व दैनिक जागरण में सार्वजनिक सूचना प्रकाशित करते हुये आपत्तियां आमंत्रित की गयी थीं। निर्धारित समयावधि के अन्दर प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुये मा० सदन नगर निगम, लखनऊ द्वारा पारित संकल्प संख्या ९४, दिनांक १२ अक्टूबर, 2020 में लिये गये निर्णय के अनुसार नगर निगम अधिनियम की धारा 544 के अन्तर्गत लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2018 नियमा अनुसार प्रकाशित किया जाता है—

'लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि 2018'

१—संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ—(१) यह उपविधि 'लखनऊ नगर निगम (विज्ञापन पर अनुज्ञा शुल्क का निर्धारण और वसूली) उपविधि, 2018' कही जाएगी।

(२) इसका विस्तार नगर निगम लखनऊ के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(३) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रवृत्त होगी।

२—परिषाय—(१) जब तक विषय या संदर्भ में कोई बात प्रतिकूल न हो इस उपविधि में—

[एक] 'अधिनियम' का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 से है;

[दो] 'विज्ञापनकर्ता' का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से जिसे इस उपविधि के अधीन कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने के लिए लिखित अनुमति प्रदान की गयी हो, और ऐसे व्यक्ति में उसका अभिकर्ता, प्रतिनिधि या सेवक समिलित है और भूमि तथा भवन का स्वामी भी समिलित है;

[तीन] 'विज्ञापन प्रतीक' का तात्पर्य विज्ञापन के प्रयोजनों के लिए या तत्संबंध में सूचना देने के लिए या जनता को किसी स्थान, व्यक्ति लोक निष्पादन, वस्तु या वाणिज्यिक माल, जो भी हो, के प्रति आकर्षित

करने के लिए किसी सतह या सरचना से है जिसमें ऐसे प्रतीक अक्षर या दृष्टांत अनुप्रयुक्त हों और जो द्वारों के बाहर किसी भी रीति जो भी हो, से संप्रदर्शित हो, और उक्त सतह या सरचना या किसी भवन से सलग्न हो, उसका भाग हो या उससे संयोजित हो, या जो किसी वृक्ष या भूमि या किसी खम्भे, स्क्रीन बाड़ या विज्ञापन पट्ट से जुड़ी हो या जो खाली स्थान पर संप्रदर्शित हो।

[चार] "गुब्बारा" का तात्पर्य गैस से भरे हुए ऐसे किसी गुब्बारे से है जो भूमि पर किसी बिन्दु से बंधा हो और कपड़े आदि के किसी फरहरे से या उसके बिना हवा में लहरा रहा हो।

[पांच] "पताका" (बैनर) का तात्पर्य ऐसी किसी नम्य आधार से है जिस पर कोई प्रतिकृति या चित्र संप्रदर्शित किये जा सकते हैं।

[छ.] "पताका विज्ञापन" का तात्पर्य किसी प्रतीक से है जो अपने संप्रदर्शन की सतह के रूप में किसी पताका का उपयोग कर रहा हो।

[सात] "समिति" का तात्पर्य नियम ३ के अधीन गठित स्थल चयन समिति से है।

[आठ] "निगम" का तात्पर्य लखनऊ नगर निगम से है।

[नौ] "विद्युतीय प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जिसमें विद्युतीय साज-सज्जे, जो प्रतीकों के महत्वपूर्ण अंग हैं, प्रयुक्त किये जाते हैं।

[दस] "गैन्डी विज्ञापन" का तात्पर्य सड़क के दोनों ओर लोहे का मजबूत पिलर गाड़कर उसके ऊपर न्यूनतम निर्दिष्ट ऊँचाई पर आयताकार विज्ञापन प्रतीक से है।

[ग्यारह] "भू-विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ न हो, और जो भूमि पर या किसी खम्भे, स्क्रीन, बाड़ या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित या चित्रित हो और जनता के लिए दृश्य हो।

[बारह] "प्रदीप्त प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो रथायी या अन्यथा हो और जिसकी कार्यप्रणाली प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रकाश द्वारा उसे प्रदीप्त किये जाने पर आधारित हो।

[तेरह] "शामियाना विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी शामियाना वितान या ऐसी अन्य आच्छादित संरचना से सम्बद्ध हो या उससे टंगा हुआ हो जो किसी भवन से बाहर निकला हुआ हो और उससे अवलम्बित हो तथा जो भवन की दीवार एवं भवन की सीमा रेखा रो बाहर की ओर हो और अस्थायी रूप से संप्रदर्शित किया गया हो।

[चौदह] "प्रक्षेपित प्रतीक" का तात्पर्य ऐसे किसी विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी भवन से लगा हुआ हो और उससे ३०० मिलीमीटर से अधिक बाहर की ओर हो।

[पन्द्रह] "मार्ग अधिकार" का तात्पर्य सड़क के प्रयोजनार्थ सुरक्षित और संरक्षित भूमि की ऊँचाई से है।

[सोलह] "छत विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी भवन की प्राचीर या छत के किसी भाग पर या उसके ऊपर निर्मित हों या रखा गया है जिसमें किसी भवन की छत पर चित्रित विज्ञापन सम्मिलित है।

[सत्रह] "अनुसूची" का तात्पर्य इस उपविधि से संलग्न अनुसूची से है।

[अट्ठारह] "बस सायबानों (शेल्टर) पर विज्ञापन" का तात्पर्य किसी बस संचालन के अधीन बस सायबान के ऊपर अथवा भीतर की ओर से प्रकाशित किये गये, टार्गेट गये, अथवा चित्रित किये गये विज्ञापन प्रतीक से है।

[उनीस] "पुष्प पात्र (फ्लावर पॉट) स्टैण्ड विज्ञापन" का तात्पर्य शहर के अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल मौसमी पौधे फ्लावर पॉट स्टैण्ड पर अनुमन्य/विहित आकार का विज्ञापन पट्ट लगाने के पश्चात् लगाये जाने से है,

[बीस] "जनसुविधा स्थान पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन से है जो किसी जनसुविधा स्थान के ऊपर/पास अथवा उसके भीतर किसी भी रीति से लगाये गये विज्ञापन से है,

[इक्कीस] "ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड पर विज्ञापन" का तात्पर्य ऐसे विज्ञापन प्रतीक से है जो किसी ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड के ऊपर अथवा उसके चारों ओर लगाया/लटकाया/चित्रित किया जाए,

[बाइस] "प्रतीक सरचना" का तात्पर्य किसी ऐसी सरचना से है जिससे कोई प्रतीक अवलम्बित हो;

[तेइस] "अरथात् विज्ञापन" का तात्पर्य अवकाश दिवसों या लोक प्रदर्शनों हेतु अलंकारिक प्रदर्शनों सहित, किसी सीमित अवधि के प्रदर्शन के लिए वांछित किसी विज्ञापन प्रतीक, झण्डा या वस्त्र, कैनवेस, कपड़े या किसी सरचनात्मक ढांचा से या उसके बिना किसी अन्य हल्की सामग्री से निर्मित अन्य विज्ञापन युक्ति से है,

[चौबीस] "अनुज्ञा शुल्क" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 541 की उपधारा (48) के निर्दिष्ट विज्ञापन शुल्क से है,

[पच्चीस] "ट्री गार्ड विज्ञापन" का तात्पर्य अनुमन्य डिवाइडरों पर अथवा सड़क/फुटपाथ के अन्तिम छोर पर पर्यावरण की दृष्टिकोण से अनुकूल पौधे लगाने के पश्चात् ट्री गार्ड पर अनुमन्य/विहित आकार के सप्रदर्शित विज्ञापन प्रतीक से है,

[छब्बीस] "बरांडा प्रतीक" का तात्पर्य किसी बरांडा से सम्बद्ध उससे संयोजित या उससे टागे गये विज्ञापन से है,

[सत्ताइस] "दीवार प्रतीक" का तात्पर्य किसी क्षेपण प्रतीक से भिन्न ऐसे किसी विज्ञापन से है जो किसी भवेन की वाह्य सतह या उसके सरचनात्मक भाग से रीधे सम्बद्ध हो या उस पर चित्रित किया गया या चिपकाया गया हो।

(2) इस उपविधि में प्रयुक्त किन्तु अपरिमाणित और अधिनियम में परिभाषित शब्दों और पदों के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में उनके लिए समनुदेशित हैं;

3—स्थल चयन के लिये समिति का गठन—(1) नगर आयुक्त अथवा अपर नगर आयुक्त की अध्यक्षता में विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए उचित और उपयुक्त स्थलों की पहचान करने के लिए और उसके आकार, ऊँचाई और सौन्दर्यात्मक पहलू का विनिश्चय करने के लिए लखनऊ नगर निगम में एक समिति का गठन किया जायेगा;

(2) समिति में निम्नलिखित होंगे—

[एक]	नगर आयुक्त अथवा नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त,	अध्यक्ष
[दो]	नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष	सदस्य
[तीन]	मा० महापौर द्वारा नामित चार मा० पार्षदगण	सदस्य
[चार]	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य

[पांच]	सचिव, लखनऊ, विकास प्राधिकरण	सदस्य
[छः]	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण [जहाँ स्थल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एन.एच.ए.आई.) से सम्बन्धित हो];	सदस्य
[सात]	अधिशासी अभियन्ता लोक निर्माण विभाग तथा रेलवे का प्रतिनिधि (जहाँ स्थल लोक निर्माण विभाग अथवा रेलवे से सम्बन्धित हो);	सदस्य
[आठ]	नगर में यातायात का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी (यातायात पुलिस विभाग) ;	सदस्य
[नौ]	क्षेत्रीय प्रबन्धक, उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (जहाँ स्थल बस शॉल्टर के आवंटन से सम्बन्धित हो);	सदस्य
[दस]	निगम का यातायात अभियन्ता या कोई अधिकारी जो अधिशासी सदस्य-सचिव अभियन्ता की श्रेणी से निम्न न हो;	

(3) समिति द्वारा परिलक्षित स्थलों पर अनुज्ञा प्रदान करने के लिए नगर आयुक्त द्वारा कम से कम दो प्रख्यात दैनिक समाचार-पत्रों के माध्यम से आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जाएंगे। विज्ञापन में प्रत्येक प्रस्तावित स्थल के संबंध में नगर आयुक्त द्वारा न्यूनतम प्रीमियम विनिर्दिष्ट होनी चाहिए।

(4) स्थलों की पहचान और समिति की संस्तुति के पश्चात ही विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा दी जायेगी।

4—प्रतिषेध—(1) नगर आयुक्त से पूर्व में लिखित अनुज्ञा प्राप्त किये बिना कोई व्यक्ति निगम की सीमा के भीतर किसी भवन, पुल, मार्ग, फुटपाथ, उपरिगामी सेतु या उससे संलग्न भूमि या ट्री गार्ड, नगर प्राचीर, बाउन्ड्रीवाल, नगर द्वार, विद्युत या टेलीफोन के खम्भे, चल वाहनों या किसी भी खुले रथान पर कोई विज्ञापन या किसी प्रकार की सूचना या चित्र, जिससे किसी सामान्य प्रज्ञा वाले व्यक्ति को विज्ञापन होने का आभास हो, न तो परिनिर्मित करेगा न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न चिपकायेगा न लगायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा या न लटकायेगा।

(2) निगम की सीमाओं के भीतर किसी भूमि या भवन का रवानी, अध्यासी या अन्यथा अधिभोग करने वाला कोई व्यक्ति नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना ऐसी भूमि या भवन के किसी भाग पर कोई विज्ञापन न तो परिनिर्मित करेगा, न प्रदर्शित करेगा, न संप्रदर्शित करेगा, न लगायेगा, न चिपकायेगा, न लिखेगा, न चित्रित करेगा न लटकायेगा और न ही किसी अन्य व्यक्ति को ऐसे भवन या भूमि पर कोई विज्ञापन परिनिर्मित करने देगा, न प्रदर्शित, संप्रदर्शित, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने देगा, यदि ऐसा किसी सार्वजनिक स्थान या सार्वजनिक मार्ग से दृश्य हो।

(3) कोई विज्ञापन पट्ट इस रीति से प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा कि यातायात के संचालन में अग्र एवं पार्श्व भाग के दर्शित होने में कोई व्यवधान हो।

(4) कोई विज्ञापन पट्ट राष्ट्रीय राज्य राजमार्ग के दाहिनी ओर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्ग के छोर से 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

(5) कोई विज्ञापन पट्ट इस नियम के अधीन यथा विनिर्दिष्ट मार्गों के सिवाय अन्य मार्गों के छोर के 10 मीटर के भीतर प्रतिष्ठापित नहीं किया जायेगा।

5—विज्ञापनकर्ताओं का पंजीकरण एवं नवीनीकरण—(1) विज्ञापनकर्ता/विज्ञापन एजेन्सी को 'ए' श्रेणी में पंजीकरण हेतु रु 50,000.00 (पचास हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं रु 2,00,000.00 (दो लाख रुपये) धरोहर

धनराशि, "बी" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 30,000.00 (तीस हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 1,50,000.00 (एक लाख पचास हजार रुपये) धरोहर धनराशि, एवं "सी" श्रेणी में पंजीकरण हेतु ₹ 15,000.00 (पंद्रह हजार रुपये) पंजीकरण शुल्क एवं ₹ 75,000.00 (पचहत्तर हजार रुपये) धरोहर धनराशि जमा करना होगा।

(2) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन अनुरूपी-1 में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा, जिसे पाँच सौ रुपये भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा या निगम के वेबसाइट से डाउनलोड भी किया जा सकता है, तथापि आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(3) पंजीकरण का नवीनीकरण वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से सात दिन के अन्दर कराना अनिवार्य होगा। नवीनीकरण शुल्क "ए" श्रेणी हेतु ₹ 30,000.00 (तीस हजार रुपये), "बी" श्रेणी हेतु ₹ 20,000.00 (बीस हजार रुपये) एवं "सी" श्रेणी हेतु ₹ 10,000.00 (दस हजार रुपये) होगा। "ए" श्रेणी में पंजीकृत विज्ञापनकर्ता/एजेन्सी ही नीलामी/निविदा प्रक्रिया में भाग लेने हेतु अर्ह होंगी।

6-अनुज्ञा प्राप्त करने की प्रक्रिया—(1) अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये प्रत्येक आवेदन अनुरूपी-एक में विनिर्दिष्ट विहित प्रपत्र में किया जायेगा जिसे ₹ 1,000.00 का भुगतान करके नगर निगम के कार्यालय से प्राप्त किया जायेगा। आवेदन-पत्र प्रस्तुत करते समय आवेदन-पत्र के मूल्य की रसीद आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट प्रत्येक आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि, भवन या स्थान के संबंध में विस्तृत सूचना, ऐसी भूमि के स्थल नक्शा सहित निहित होगी जहाँ ऐसी भूमि, भवन या स्थान के पास प्रस्तावित विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, सम्प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, विपकाया जाना, लिखा जाना या लटकाया जाना वांछित हो और उसमें निम्नलिखित सूचना समिलित होगी—

[क] प्रत्येक भू-विज्ञापन पट्ट की भूमितल से ऊँचाई, अवस्थिति, ढाँचे की बनावट आदि की विशिष्टियों को आवंटन समिति द्वारा तथा किया जायेगा और उसी के अनुरूप आवश्यक अभिकल्प संगणना आवेदन-पत्र में प्रस्तुत की जायेगी;

[ख] पूर्ववर्ती विज्ञापनों के अतिरिक्त छत-विज्ञापनों, प्रक्षिप्त विज्ञापनों या भू-प्रतीकों के मामले में सहायक क्रिया विधियों और स्थिरक-स्थानों के समस्त घटक और यदि नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो आवश्यक अभिकल्प संगणनाये आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तुत की जायेगी;

[ग] कोई अन्य विशिष्टियाँ, जो नगर आयुक्त द्वारा अपेक्षित हों;

[घ] गुब्बारा विज्ञापन के मामले में नगर आयुक्त द्वारा यथा अपेक्षित आवश्यक सूचना विज्ञापनकर्ता को उपलब्ध करायी जायेगी।

(3) यदि विज्ञापन किसी सार्वजनिक मार्ग के पार्श्व भाग पर या किसी निजी परिसर में कोई संरचना लगाकर प्रदर्शित किया जाना या संप्रदर्शित किया जाना वांछित हो तो ऐसे आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित विवरण भी प्रस्तुत किये जायेंगे—

[क] विज्ञापन और प्रस्तावित संरचना के आकार का विवरण;

[ख] नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता से सम्बन्धित भवन की सुदृढता सम्बन्धी रिपोर्ट;

[ग] भू/भवन स्वामी की सहमति का अनुबन्ध-पत्र;

[घ]’ आवेदन, आवश्यक चित्रों और संरचना-संगणनाओं सहित नगर आयुक्त द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित संरचना अभियन्ता की माध्यम से किया जायेगा। अभिकल्प संगणनाओं में लिया गया ‘वायुभार राष्ट्रीय भवन संहिता, 2005 के “संरचना अभिकल्प, धारा १ भार बल और प्रभाव” के भाग ४ के अनुसार होगा।

[ड] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापति प्रमाण-पत्र;

(4) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट् किसी निजी भूमि या भवन या उसके किसी भाग पर परिनिर्मित किया जाना, प्रदर्शित किया जाना, लगाया जाना, चिपकाया जाना, लिखा जाना, चित्रित किया जाना या लटकाया जाना चाहित हो और आवेदक ऐसी भूमि या भवन का स्वामी न हो तो आवेदन-पत्र में ऐसी भूमि या भवन के स्वामी की लिखित अनुज्ञा/निष्पादित अनुबन्ध की प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।

(5) उपनियम (4) में निर्दिष्ट भूमि या भवन के प्रत्येक स्वामी को लिखित रूप में वचन देना होगा कि किसी व्यतिक्रम की स्थिति में वह विज्ञापनकर्ता हेतु देय अनुज्ञा शुल्क का भुगतान करने के लिये दायी होगा। नगर आयुक्त अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को विज्ञापन पट् हटाने हेतु परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।

(6) यदि भूमि का कोई स्वामी अपनी निजी भूमि पर विज्ञापन संप्रदर्शित करना चाहे तो उसे आवेदन-पत्र के साथ विस्तृत सूचना प्रस्तुत करनी होगी और इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा लेनी होगी।

(7) यदि कोई व्यक्ति किसी ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट को परिनिर्मित करने की अनुज्ञा प्राप्त करने के पश्चात् ऐसे ट्रीगार्ड/फ्लावर पॉट पर कोई विज्ञापन प्रदर्शित या संप्रदर्शित करता है तो वह इस उपविधि के अधीन अनुज्ञा शुल्क भुगतान करने का दायी होगा।

(8) अनुज्ञा ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए प्रदान की जायेगी जो नगर आयुक्त द्वारा लोक सुरक्षा और शिष्टाचार के हित में अधिरोपित की जाय।

(9) प्रत्येक आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित सम्पूर्ण प्रीमियम अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किश्त की धनराशि संलग्न करनी होगी, परन्तु यह कि प्रीमियम की अवशेष धनराशि नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर जमा करनी होगी।

6-क—अनुज्ञा प्राप्त करने की शर्त—(1) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट् परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने की अनुज्ञा निम्नलिखित निबन्धन एवं शर्तों पर प्रदान की जायेगी, यह कि—

[क] अनुज्ञा केवल उस अवधि तक के लिए प्रभावी होगी जिस अवधि के लिए प्रदान की गयी हो, परन्तु यह कि अनुज्ञा शुल्क या प्रीमियम सहित अनुज्ञा शुल्क, इस उपविधि के अनुसार नगर निधि में संदत्त और जमा किया गया हो;

[ख] विज्ञापन या विज्ञापन पट् पर ऐसे रंगों और आकारों में लिखा जाएगा, चिपकाया जायेगा, समुद्धृत किया जाएगा, चित्रित किया जाएगा जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित किया जाए और विज्ञापन पट् चाहे भूमि पर या भवन पर प्रतिष्ठापित किया गया हो, की कँचाई 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी। दो सन्निकट विज्ञापनों पट्टों के मध्य की दूरी 10 मीटर से कम नहीं होगी। यूनीपोल लगाये जाने की दशा में दो यूनीपोल के मध्य की दूरी 15 मीटर से कम नहीं होगी;

[ग] विज्ञापन या विज्ञापन पट को समुचित दशा में रखा एवं अनुरक्षित किया जाएगा;

[घ] प्रदान की गयी अनुज्ञा अन्तरणीय नहीं होगी;

[ड] विज्ञापन या विज्ञापन पट की विषय वस्तु या उसके विवरण में नगर आयुक्त की लिखित अनुज्ञा के बिना परिवर्तन नहीं किया जाएगा;

[च] विज्ञापनकर्ता ऐसी अवधि, जिसके लिए अनुज्ञा दी गयी थी, की समाप्ति से एक सप्ताह के भीतर विज्ञापन को हटा देंगे या उसे मिटा देंगे,

[छ] विज्ञापन बोर्ड या विज्ञापन पट्ट पर ही प्रतिष्ठापित किये जायेंगे, संप्रदर्शित किये जायेंगे या परिनिर्मित किये जायेंगे;

[ज] मार्ग/फुटपाथ के लिए खुली छोड़ी गयी भूमि पैदल चलने वालों, साइकिल वालों आदि के लिए सुरक्षित रूप में चलने के लिए उपलब्ध रहेगी;

[झ] भवनों, यदि कोई हो, जो प्रतीकों और विज्ञापन पट्टों के समीप स्थित हो, के प्रकाश और वातायन किसी भी रूप में बाधित नहीं होंगे;

[ञ] लोकहित में नगर आयुक्त को यह अधिकार होगा कि वह अवधि समाप्त होने के पूर्व भी अनुज्ञा-पत्र को निलम्बित कर दे, जिसके पश्चात् विज्ञापनकर्ता विज्ञापन को हटा देगा,

[ट] विज्ञापनों से अवरथान का कलात्मक सौन्दर्य नष्ट नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार के विज्ञापन हेतु पर्यावरण विभाग द्वारा प्रतिबन्धित प्लारिटक का प्रयोग निषिद्ध होगा;

[ठ] भवन से सम्बन्धित विज्ञापन पट्टों से भिन्न विज्ञापन पट्ट ऐसे भवनों यथा चिकित्सालयों, शैक्षिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों, संग्रहालयों, धार्मिक पूजा के निमित्त अप्रित भवनों और राष्ट्रीय महत्व के भवनों के समक्ष प्रदर्शित करने की अनुज्ञा नहीं होगी,

[ड] विज्ञापन पट्टों का अनुरक्षण तथा निरीक्षण उनके अवलम्बन नियम 24 के अनुसार होंगे;

[ढ] समस्त विज्ञापन नियम 16 "समस्त विज्ञापनों के लिये सामान्य अपेक्षाएं" में दी गयी सामान्य अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे;

[ण] विज्ञापनों को वृक्षों या काष्ठमय पेड़-पौधों में गाड़ा, बांधा नहीं जायेगा;

(2) नगर आयुक्त द्वारा प्रदान की गयी लिखित अनुज्ञा या उसका नवीनीकरण तत्काल समाप्त हो जायेगा—

[क] यदि कोई विज्ञापन या उसका कोई भाग किसी दुर्घटना या किन्हीं अन्य कारण से गिर जाता है;

[ख] यदि कोई परिवर्द्धन, उसे सुरक्षित रखने के प्रयोजन को छोड़कर नगर आयुक्त के निर्देश के अधीन किया जाता है;

[ग] यदि विज्ञापन पट या उसके भाग में कोई परिवर्तन किया जाता है;

[घ] यदि उस भवन या संरचनाओं में कोई परिवर्द्धन या परिवर्तन किया जाता है जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन परिनिर्मित किया गया हो, और यदि ऐसे परिवर्द्धन या परिवर्तन में विज्ञापन पट या उसके किसी भाग का व्यवधान सम्मिलित है; या,

[ङ] यदि ऐसा भवन या संरचना, जिस पर या जिसके ऊपर विज्ञापन पट्ट परिनिर्मित, नियत या अवरुद्ध हो, भजित या नष्ट हो जाती है।

6-ख-प्रीमियम—(1) नगर आयुक्त प्रत्येक स्थल के लिए स्थल के महत्व के अनुसार न्यूनतम प्रीमियम की धनराशि नियत करेगा।

(2) मुहरबंद लिफाफे में प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए न्यूनतम सात दिन का समय दिया जायेगा।

(3) प्रस्ताव के साथ उसमें उल्लिखित, पूर्ण धनराशि अथवा ५० प्रतिशत धनराशि का बैंक ड्राफ्ट/बैंक चेक संलग्न होनी चाहिए। प्रीमियम की शेष धनराशि प्रस्ताव की स्वीकृति के पश्चात् नगर आयुक्त द्वारा यथा निर्दिष्ट अवधि के अंदर जमा करनी होगी।

7—अवंटन समिति—(1) नगर आयुक्त की अध्यक्षता में प्रत्येक निगम में एक आवंटन समिति गठित की जायेगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे—

[एक]	नगर आयुक्त द्वारा नामित अपर नगर आयुक्त	सदस्य
[दो]	नगर निगम कार्यकारिणी उपाध्यक्ष	सदस्य
[तीन]	मा० महापौर द्वारा नामित चार मा० पार्षदगण	सदस्य
[चार]	मुख्य अभियन्ता, नगर निगम	सदस्य
[पांच]	निगम में तैनात यातायात सेल (ट्रैफिक सेल) का अभियन्ता	सदस्य
[छ]	सम्बन्धित जोन का जोनल अधिकारी	सदस्य
[सात]	प्रभारी अधिकारी, विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट जो सहायक नगर सदस्य/सचिव आयुक्त/कर निर्धारण अधिकारी की श्रेणी से निम्न न हो	सदस्य/सचिव

टिप्पणी—स्थल चयन समिति आवंटित स्थल के संदर्भ में दिये गये परामर्श/निर्णय के सन्दर्भ में मा० महापौर को अवगत करायेगी। किसी भी स्थल के सन्दर्भ में विवाद आदि पर मा० महापौर का निर्णय अन्तिम माना जायेगा और निरत्तारित किया जायेगा।

(2) [एक] समिति सार्वजनिक भूमि/नगर निगम में निहित भूमि (गली, फुटपाथ, डिवाइडर, तिराहा, चौराहा, आईलैण्ड पार्क, या कोई सार्वजनिक स्थल) पर स्ट्रक्चर निर्मित करने हेतु उस स्थल के व्यावसायिक महत्व एवं उस स्थल के माध्यम से होकर गुजरने वाले व्यक्तियों की संख्या को ध्यान में रखते हुए प्रीमियम की न्यूनतम धनराशि निर्धारित करेगी;

[दो] समिति इस उपविधि में विनिर्दिष्ट प्रतिमानों के अनुसार आवेदन-पत्रों, निविदाओं, प्रस्तावों की संवीक्षा करेंगी और तदनुसार अनुमोदित करेगी।

(3) नियम २६ के अधीन अनुज्ञा शुल्क सहित प्रीमियम की पूर्ण प्रस्तावित धनराशि जमा करने के पश्चात् उच्चतम् प्रस्ताव करने वाले आवेदक को अनुज्ञा प्रदान करेगी।

(4) सदस्य सचिव समिति द्वारा सम्भव रूप से अनुमोदित अनुज्ञा आदेश जारी करेगा।

(5) विज्ञापनकर्ता द्वारा निगम में अनुमोदित प्रीमियम की धनराशि अथवा नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रथम किस्त की धनराशि एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा करने के पश्चात् ही उसे अनुज्ञा आदेश जारी किया जायेगा।

(6) यदि उच्चतम प्रीमियम प्रस्तावित करने वाला आवेदक किन्हीं कारणों से अनुमोदित प्रीमियम एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की धनराशि जमा नहीं करता है और निविदा से अपना प्रस्ताव वापस लेता है तो उसके द्वारा नीलामी/निविदा के लिए जमा की गयी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(7) विस्तृत सूचना, अनुदेश और निबंधन एवं शर्तें अनुज्ञा आदेश में उल्लिखित की जायेगी।

(8) विज्ञापन (यथा-होर्डिंग, यूनीपोल, बस शेल्टर, गैन्ट्री इत्यादि) के लिए प्रत्येक स्थल की नीलामी या निविदा एवं विद्युत, टेलीफोन खम्भों, ट्री-गार्ड/फ्लावर पॉट पर विज्ञापन की नीलामी/निविदा एक ही रूप में उपर्युक्त रीति से की जायेगी।

(9) यदि कोई विज्ञापन निजी भवन या भूमि पर संप्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क, विज्ञापनकर्ता द्वारा संदेय होगा।

(10) यदि विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी सार्वजनिक मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य राजमार्ग को छोड़कर जहाँ इसकी अनुज्ञा न हो) या इससे संलग्न भूमि या किसी सार्वजनिक स्थान, विद्युत या टेलीफोन खम्भों या ट्रीगार्ड या चहारदीवारी पर संप्रदर्शित किया जाना, परिनिर्मित किया जाना या प्रदर्शित किया जाना हो, तो अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क उच्चतम् प्रीमियम की निर्धारित धनराशि आवेदक द्वारा संदेय होगी।

8—आवेदन-पत्रों की अस्वीकृति के आधार—नियम 4 के अधीन अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक आवेदन-पत्र निम्नलिखित किसी एक या उससे अधिक आधारों पर अरबीकृत किया जा सकता है, यह कि—

[क] आवेदन-पत्र में अपेक्षित सूचना और विवरण अन्तर्विष्ट न हो या वह इस उपविधि के अनुरूप न हो।

[ख] प्रस्तावित विज्ञापन विधिक रूप से आपत्तिजनक प्रकृति का या नगर निगम पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला या राजनैतिक अभियान को उकसाने वाला या जनता अथवा किसी विशिष्ट वर्ग के व्यक्तियों हेतु अनिष्टकर या क्षतिकारक प्रभाव डालने वाली प्रकृति का हो या ऐसे स्थान पर ऐसी रीति से या किसी ऐसे माध्यम से संप्रदर्शित हो, जैसा कि नगर आयुक्त की राय में, उसमें किसी पड़ोस की सुविधाओं पर क्षतिकारक प्रभाव पड़ने या विकृत होने की सम्भावना हो या इसमें आपत्तिजनक लेख या अश्लील नग्न रेखाचित्र या चित्र या मदोन्मत्ता का कोई प्रतीक अन्तर्विष्ट हो।

[ग] तम्बाकू से निर्मित पदार्थ सिगरेट इत्यादि के सेवन को प्रोत्साहित करने वाला हो,

[घ] प्रस्तावित विज्ञापन से लोक शांति या प्रशांति भंग होने की सम्भावना हो या लोकनीति और एकता के विरुद्ध हो;

[ड] प्रस्तावित विज्ञापन से तूफान या अंधड के दौरान जीवन या सम्पत्ति के लिए क्षति उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[च] प्रस्तावित विज्ञापन से यातायात में अशांति या खतरा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[छ] प्रस्तावित विज्ञापन स्थल तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के उपबंधों से असंगत हो;

[ज] विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट किसी भूमि या भवन पर परिनिर्मित किया जाना या सम्प्रदर्शित किया जाना वांछनीय हो और ऐसी भूमि या भवन के संबंध में धारा 172 में निर्दिष्ट सम्पत्ति कर आवेदन करने के दिनांक को असंदर्त हो;

[झ] अन्य कोई कारण जिसे नगर आयुक्त नगर निगम के हित व जनहित में उचित समझें।

9—अनुज्ञा प्रदान करने की रीति—किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, सम्प्रदर्शित करने, लगाने, चिपकाने, लिखने, चित्रित करने या लटकाने हेतु आयंटन रामिति की संरक्षित पर निम्नलिखित एक या उससे अधिक रीति से अनुज्ञा प्रदान करना नगर आयुक्त के लिए विधि सम्मत होगा—

[एक] सार्वजनिक नीलामी द्वारा

[दो] निविदा आमत्रित करने के द्वारा

[तीन] निर्धारित नियमों एवं शर्तों के अधीन पूर्व में प्रदान की गई अनुज्ञा के नवीनीकरण के द्वारा किन्तु अनुज्ञा किसी भी दशा में नहीं दी जायेगी, जिससे यातायात एवं फुटपाथ पर पैदल चलने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न हो;

[चार] निजी स्थल/भवन पर विज्ञापन की अनुमति परिसर के मालिक की सहमति पर इस नियम के अन्य उपबंधों के अधीन दी जा सकती है;

[पांच] विज्ञापन हेतु प्राप्त आवेदन-पत्रों पर अनुज्ञा और नवीनीकरण के लिए आवेदन-पत्रों को अधिकतम 15 दिनों के अंदर निर्णय लेकर विज्ञापनकर्ता को सूचित किया जायेगा। यदि नीलामी/निविदा के माध्यम से अनुज्ञा प्रदान किया जाना है तो नीलामी/निविदा की तिथि से 15 दिनों के अंदर निर्णय लेकर नीलामी/निविदा में भाग लेने वाले विज्ञापनकर्ताओं को सूचित किया जायेगा।

10—अनुज्ञा की अवधि—अनुज्ञा की अवधि वही होगी जो अनुज्ञा-पत्र में विनिर्दिष्ट है। वार्षिक अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से दो वर्ष की अधिकतम अवधि या संगत वित्तीय वर्ष के 31 मार्च तक, इनमें जो भी पहले हो, होगी।

11—अनुज्ञा का नवीनीकरण—नगर आयुक्त द्वारा निर्धारित प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं सम्पूर्ण विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करने के पश्चात् अनुज्ञा का नवीनीकरण नियम 6(3) के अधीन किया जा सकता है। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को अनुसूची-1 के रूप में संलग्न विहित प्रारूप पर आवेदन-पत्र प्रस्तुत करना होगा। अनुज्ञा के नवीनीकरण होने के पश्चात् देय प्रीमियम/नवीनीकरण शुल्क एवं विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा।

12—विज्ञापन या विज्ञापन पट हटाने की शक्ति—(1) यदि कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट इस उपविधि के उल्लंघन में परिनिर्मित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है, संप्रदर्शित किया जाता है, लगाया जाता है, चिपकाया जाता है, लिखा जाता है, चित्रित किया जाता है या लटकाया जाता है या लोक सुरक्षा के लिए परिसंकटमय या खतरनाक हो या वह सुरक्षित यातायात संचालन हेतु अशांति का कारण हो तो समिति विज्ञापनकर्ता को किसी नोटिस के बिना उसे हटवा सकती या मिटवा सकती है और जमा प्रतिभूति से निम्नलिखित धनराशियों की वसूली कर सकती है—

[एक] इस प्रकार हटाये जाने या मिटाये जाने का व्यय; और

[दो] ऐसी अवधि, जिसके दौरान ऐसा विज्ञापन या विज्ञापन पट ऐसे उल्लंघन में परिनिर्मित किया गया था, प्रदर्शित किया गया था, संप्रदर्शित किया गया था, लगाया गया था, चिपकाया गया था, लिखा गया था, चित्रित किया गया था या लटकाया गया था, के लिए क्षतियों की धनराशि।

(2) जब कभी कोई विज्ञापन नगर आयुक्त द्वारा किसी नोटिस या आदेश या अन्यथा के परिणामस्वरूप हटाया जाता है तब ऐसे भवन या स्थल, जिस पर या जिससे ऐसा विज्ञापन संप्रदर्शित किया गया था, में किसी क्षति या विकृति को नगर आयुक्त के समाधान पर्यन्त ठीक किया जायेगा। यदि विज्ञापन हटाये जाने के दौरान मार्ग/सड़क/फुटपाथ/ यातायात संकेतक या कोई अन्य लोक उपयोगिता की सेवायें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर दिया जाना चाहिये।

13—विज्ञापन पर निर्बन्धन—(1) किसी संविदा या करार में अनार्पित किसी बात ये प्रतिकूल होते हुए भी कोई विज्ञापन या विज्ञापन पट परिनिर्मित नहीं किया जायेगा, प्रदर्शित नहीं किया जायेगा, संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा, चिपकाया नहीं जायेगा, लिखा नहीं जायेगा, चित्रित नहीं किया जायेगा या लटकाया नहीं जायेगा, यदि—

[एक] यह आकार में 12.2 मीटर X 6.2 मीटर से अधिक हो और इसका तल आधार मूलत से ऊपर 02 मीटर से कम हो,

[दो] यह किसी मार्ग, मार्ग संधियों या सेतुओं के अनुप्रस्थ भाग के मध्य से होते हुए मार्ग से नापे गये 30 मीटर के भीतर किसी स्थान पर अवस्थित हो;

[तीन] यह मार्ग के समानान्तर न हो या इससे यानीय या पैदल चलने वाले यातायात में बाधा उत्पन्न होती हो या बाधा उत्पन्न होने की सम्भावना हो;

[चार] समिति की राय में प्रस्तावित स्थल विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के लिए अनुपयुक्त हो;

[पांच] यह मार्ग के आर-पार एवं मार्ग पटरी/पगड़ंडी पर रखा गया हो;

[छ:] यह किसी निजी परिसर के बाहर क्षेपित हो जिस पर यह इस प्रकार परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित हो;

[सात] यह ऐतिहासिक या राष्ट्रीय स्मारकों, सार्वजनिक भवनों और दीवारों चिकित्सालयों, शैक्षणिक संस्थाओं, न्यायालयों, सार्वजनिक कार्यालयों और पूजा स्थलों के चारों ओर अवस्थित हो;

[आठ] स्थल नियम 22 के अधीन इस प्रयोजनार्थ निगम या राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित प्रतिषिद्ध क्षेत्र के भीतर पड़ता हो;

[नौ] जर्जर स्थिति में हो जिसके आंधी-पानी (बरसात) में गिरने की सम्भावना हो।

(2) विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों को निम्नलिखित रूप में अनुज्ञा नहीं दी जायेगी—

[एक] ऐसी रीति से और ऐसे स्थानों पर जिससे कि यातायात के पहुँचने, या संविलीन होने, प्रतिच्छेदित होने की दृश्यता में बाधा या व्यवधान उत्पन्न होता हो;

[दो] राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के दांयी ओर के भीतर और राष्ट्रीय/राज्य राजमार्गों के पड़ने वाले मोड़ के 10 मीटर के भीतर एवं समस्त प्रमुख चौराहों के मध्य की दूरी के 30 मीटर के भीतर,

[तीन] किसी लोक प्राधिकरण यथा यातायात प्राधिकरण, लोक परिवहन प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण या लोक निर्माण विभाग या भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के आदेशों के अधीन मार्ग से होते हुए यातायात के विनियमन के लिए परिनिर्मित किसी साइन बोर्ड के 50 मीटर के भीतर,

[चार] ऐसे रूप में जिससे लोक प्राधिकरणों द्वारा यातायात नियंत्रण के लिए परिनिर्मित किसी चिन्ह, संकेतक या अन्य युक्ति के निर्वचन में विघ्न व्यवधान उत्पन्न हो,

[पांच] किसी मार्ग के पार लटकाये गये पट्टों, भित्ति पत्रकों, वस्त्र-झण्डियां या पत्रक पर जिससे चालक का ध्यान विचलित होता हो और इसलिए परिसंकटमय हो;

[छ:] ऐसे रूप में जिससे पैदल चलने वालों के मार्ग में व्यवधान उत्पन्न हो और चौराहे पर उनकी दृश्यता बाधित हो;

[सात] जब इनसे स्थानीय सुविधाये प्रभावित हों।

(3) [एक] निजी भवनों पर पोस्टर चिपकाने अथवा वॉल राइटिंग के पूर्व भवन स्वामी की लिखित अनुमति आवश्यक होगी। सार्वजनिक भवनों, दिशा-सूचकों और महत्वपूर्ण सूचनाओं/नोटिस वाले विज्ञापन-पटों पर पोस्टर लगाना अथवा कुछ लिखना पूर्णतः प्रतिबन्धित एवं दण्डनीय अपराध होगा;

[दो] सड़क पर क्रास बैनर पूर्णतः प्रतिबन्धित होगा,

[तीन] गैन्ट्री प्रतीक के लिए यह आवश्यक होंगा कि गैन्ट्री के दोनों ओरों पर स्थान बोधक, दिशासूचक शब्द एवं दूरी का उल्लेख किया जाय जो विज्ञापन के कुल आकार का न्यूनतम 30 प्रतिशत से कम नहीं होगा। गैन्ट्री की सड़क से न्यूनतम ऊँचाई इस प्रकार रखी जायेगी कि सामान लदा हुआ भारी ट्रक नीचे से आसानी से गुजर सके;

[चार] फलावर पॉट में मौसमी पुष्पों वाले पौधे ही लगाये जा सकेंगे। कैंटर्स वाले फलावर पॉट अनुमन्य नहीं होंगे;

[पांच] सड़क के किनारे अथवा डिवाइडर पर लगे किसी भी बड़े वृक्ष जो स्वावलम्बी हो चुके हैं एवं बड़े वृक्ष के नीचे ट्री-गार्ड/फलावर पॉट लगा कर विज्ञापन प्रदर्शित किया जाना निषिद्ध होगा;

[छ:] किसी भी पोल पर अधिकतम दो कियॉस्क जिनके पार्श्व भाग आपस में इस प्रकार सटे होंगे जिसमें एक दिशा से एक ही कियॉस्क दृश्य होगा, अनुमन्य होंगे।

(4) निम्नलिखित प्रकार के प्रदीप्त विज्ञापनों और विज्ञापन पट्टों की अनुज्ञा नहीं होगी—

[एक] ऐसी सधनता या चमक वाले प्रदीप्त विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जिससे चौंध उत्पन्न हो या चालक अथवा पैदल चलने वालों की दृष्टि बाधित होती हो या जिससे चालन की किसी क्रिया में विच्छ पड़ता हो।

[दो] विज्ञापन और विज्ञापन पट्ट जो इस रूप में प्रदीप्त हों जिससे कि किसी शासकीय यातायात विज्ञापन पट्ट युक्त या संकेतक का प्रभाव बाधित होता हो या क्षीण होता हो।

14-छत के ऊपर के विज्ञापन पट्टों के सम्बन्ध में निर्बन्धन—(1) किसी भवन की छत पर परिनिर्मित, प्रदर्शित या संप्रदर्शित किये जाने वाले विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों के मामले में केवल प्लास्टिक की विनायल या वस्त्र पत्रक ही अनुमन्य हैं।

(2) नियम-6 और नियम-13 के अधीन रहते हुए किसी भवन की छत पर विज्ञापन पट्ट की ऊँचाई अधिकतम 6.2 मीटर व चौड़ाई 12.4 मीटर से अधिक नहीं होगी और चौड़ाई किसी भी दशा में भवन की क्षैतिज चौड़ाई से अधिक नहीं होगी।

15—विज्ञापन पट्टों के प्रकार—विज्ञापन निम्नलिखित प्रकार के होंगे—

- (क) वैद्युत और प्रदीप्त विज्ञापन/वैद्युत, डिजिटल विज्ञापन
- (ख) एल०ई०डी० स्क्रीन
- (ग) भू-विज्ञापन ( यूनीपोल / पेन्सिल यूनीपोल)
- (घ) छत विज्ञापन
- (ङ) बरामदा / दुकान विज्ञापन
- (च) दीवार विज्ञापन
- (छ) प्रक्षिप्त विज्ञापन
- (ज) शामियाना विज्ञापन
- (झ) आकाशीय विज्ञापन
- (ञ) अस्थायी एवं विविध विज्ञापन
- (ट) ट्रैफिक/पुलिस बूथ अथवा ट्रैफिक आईलैण्ड विज्ञापन
- (ठ) जन सुविधा स्थान पर विज्ञापन
- (ड) विशेष प्रकार की छतरी विज्ञापन

- (ळ) पताका/झण्डी विज्ञापन, द्वार विज्ञापन, गुब्बारा विज्ञापन
- (ण) ट्री गार्ड
- (त) गैन्ट्री विज्ञापन
- (थ) बिल्डिंग ग्लास, फसाड वॉलरैप, वाटर टैंक विज्ञापन
- (द) फुट ओवर ब्रिज
- (ध) प्रचार वाहन
- (न) रैन बर्सेरा पर विज्ञापन
- (प) पानी की टंकी पर विज्ञापन
- (फ) विद्युत पोल पर क्यास्क
- (ब) सांकेतिक पट /साईनेज
- (भ) रेलवे/मेट्रो के पिलर्स/दीवार/रेलिंग इत्यादि पर लगने वाली विज्ञापन सामग्री जिसका भाग सड़क के सम्मुख होने की दशा में।
- (म) विज्ञापन के अन्य कोई भी माध्यम

(क) वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन—[क-1] वैद्युत विज्ञापन की सामग्री—जहाँ प्रतीक पूर्णतः पुंज प्रकाश युक्त विज्ञापन हो, उसे छोड़कर प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[क-2] वैद्युत विज्ञापनों और प्रदीप्त विज्ञापनों का स्थापन—प्रत्येक वैद्युत विज्ञापन और प्रदीप्त विज्ञापन को राष्ट्रीय भवन संहिता 2005, भाग-8 भवन सेवायें धारा 2, विद्युत एवं समर्वर्गीय स्थापन के अनुसार स्थापित किया जायेगा।

[क-3] लाल, तुणमणि. जैसा या हरे रंग में कोई प्रदीप्त विज्ञापन, किसी प्रदीप्त यातायात विज्ञापन के 10 मीटर की क्षैतिज दूरी के भीतर परिनिर्मित या अनुरक्षित नहीं किया जायेगा।

[क-4] दो मंजिल से कम की ऊँचाई पर या पगडण्डी से 6.2 मीटर ऊपर जो भी अधिक हो, पर सफेद प्रकाश से भिन्न प्रकाश द्वारा प्रदीप्त समस्त विज्ञापन पट्ट समुचित रूप से प्रदर्शित किये जायेंगे जिससे कि यातायात के नियंत्रण में विज्ञापन पट्ट या संकेतक से होने वाले किसी प्रकार के व्यवधान को संतोषजनक रूप से रोका जा सके।

[क-5] गहन प्रदीप्ति—कोई व्यक्ति ऐसा कोई विज्ञापन परिनिर्मित नहीं करेगा जो ऐसे गहन प्रदीप्ति का हो जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो। ऐसे परिनिर्माण के लिए दी गयी किसी अनुज्ञा के होते हुए भी किसी ऐसे विज्ञापन, जो परिनिर्माण के पश्चात् नगर आयुक्त की राय में ऐसी गहन प्रदीप्ति का हो, जिससे कि संलग्न या निकट के भवनों के निवासियों को व्यवधान उत्पन्न हो, को नगर आयुक्त के आदेश के आधार पर संबंधित स्थल के स्वामी द्वारा ऐसी युक्तियुक्त अवधि, जैसा कि नगर आयुक्त विनिर्दिष्ट करें, के भीतर समुचित रूप में परिवर्तित कर दिया जायेगा या उसे हटा दिया जाएगा।

[क-6] परिचालन अवधि—नगर आयुक्त की राय में जन सुख सुविधा, स्वारक्ष्य और सुरक्षा के हित में आवश्यक विज्ञापन से भिन्न कोई वैद्युत विज्ञापन, मध्यरात्रि और सूर्योदय के मध्य प्रचालित नहीं किया जायेगा।

[क-7] चौंधने वाला, ओझल करने वाला और जीवंतता प्रदान करने वाला—कोई चौंधने वाला, ओझल करने वाला या जीवंतता परक विज्ञापन पट्टिका जिसकी बारम्बारता प्रति मिनट 30 चौंध से अधिक हो, इस प्रकार परिनिर्मित की जायेगी कि ऐसे विज्ञापन पट्टों का न्यूनतम छोर भूतल से 9 मीटर ऊपर से कम न हो।

[क-८] विमानपत्तनों के निकट प्रदीप्त विज्ञापनों के लिए विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(ख) भू-विज्ञापन—[ख-१] सामग्री—ढाँचों, अवलम्बों और पट्टी सहित 6 मीटर से अधिक ऊँचाई वाला प्रत्येक भू-विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी सामग्री को छोड़कर अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा।

[ख-२] आयाम—कोई भी भू-विज्ञापन भूमि के ऊपर 6 मीटर से अधिक की ऊँचाई में परिनिर्मित नहीं किया जायेगा। प्रकाश परावर्तन विज्ञापन के अग्रभाग या मुख भाग के ऊपर जा सकता है।

[ख-३] अवलम्ब और स्थिरक स्थान—प्रत्येक भू-विज्ञापन को भूमि पर दृढ़तापूर्वक अवलम्बित और स्थिर किया जायेगा। अवलम्ब और स्थिरक, सुसाध्यतानुसार संसाधित काष्ठ के होंगे या संक्षारण रोध या चिनाई या कंक्रीट हेतु संसाधित धातु के होंगे।

[ख-४] स्थल सफाई—किसी स्थल जिस पर कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित हो, का स्वामी नगर आयुक्त के अनुमोदन हेतु स्थल के ऐसे भाग जो मार्ग से दृश्य हो, को स्वच्छ, साफ, निर्मल और समस्त गन्दे पदार्थों तथा कुरुप स्थितियों से मुक्त रखने के लिए उत्तरदायी होगा।

[ख-५] यातायात में अवरोध—ऐसा कोई भू-विज्ञापन परिनिर्मित नहीं किया जायेगा जिससे कि किसी भवन के मुक्त प्रवेश में या उसके निकास में व्यवधान उत्पन्न हो।

[ख-६] तल निर्बाधन—सभी भू-विज्ञापनों का तल आधार भूमि में कम से कम 2 मीटर ऊपर होगा किन्तु अंतरावर्ती स्थान को जालदार कार्य या पटल सजावटी व्यवस्था से पूरा किया जा सकता है।

[ख-७] भू-चित्रित विज्ञापन, जहाँ लागू हों, नियम 16 की अपेक्षाओं के अनुरूप होंगे।

(ग) छत विज्ञापन—[ग-१] सामग्री : नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर ढाँचे, अवलम्बों और पटियों सहित प्रत्येक छत विज्ञापन पटिया को अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जायेगा। समस्त धात्तिक पुजार्हों के वैद्युत भू-आच्छादन की व्यवस्था की जाएगी और जहाँ ज्वलनशील सामग्रियों अक्षरों या अन्य साज-सज्जों में अनुज्ञात हो वहाँ समस्त लेख और नलिकाएं उसमें मुक्त और रोधित रखी जाएंगी।

[ग-२] अवस्थिति—(क) किरी भवन के छत पर कोई छत विज्ञापन, इस प्रकार नहीं रखा जाएगा जिससे कि छत के एक भाग से दूसरे भाग में मुक्त प्रवेश में व्यवधान उत्पन्न हो।

(ख) कोई छत विज्ञापन किसी भवन के छत पर या उसके ऊपर तब तक नहीं रखा जाएगा तब तक सम्पूर्ण छत का निर्माण अज्वलनशील सामग्री का न हो।

[ग-३] क्षेपण (प्रोजेक्शन)—कोई क्षेपण विज्ञापन भवन की विद्यमान भवन लाइन जिस पर यह परिनिर्मित हो के परे / प्रक्षेपित नहीं होगा अथवा वह छत के ऊपर किसी भी दिशा में नहीं बढ़ेगा।

[ग-४] अवलम्ब और स्थिरक—प्रत्येक छत विज्ञापन को पूर्णतया सुरक्षित रखा जाएगा और उसे ऐसे भवन, जिस पर या जिसके ऊपर यह परिनिर्मित हो, पर स्थिर किया जाएगा। सम्पूर्ण भार भवन के संरचनात्मक भागों में सुरक्षित रूप में संवितरित होंगे।

[ग-५] विमानपत्तनों के सभी प्रत्येक छत विज्ञापनों हेतु विमानपत्तन प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

[ग-६] चित्रित छत विज्ञापन, जहाँ प्रयोज्य हों, नियम 16 'समस्त विज्ञापनों हेतु सामान्य अपेक्षाएं' के अनुरूप होंगे।

[ग-7] विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना चाहिए।

(घ) बरामदा विज्ञापन—[घ-1] सामग्री-प्रत्येक बरामदा विज्ञापन नियम 16 के उप नियम (4) में दी गयी व्यवस्था को छोड़कर पूर्णतः अज्वलनशील सामग्री से निर्मित किया जाएगा।

[घ-2] आयाम—कोई बरामदा विज्ञापन 01 मीटर से अधिक ऊँचा नहीं होना चाहिए। किसी बरामदा से लटकाया जाने वाला कोई बरामदा विज्ञापन लम्बाई में 2.5 मीटर और मोटाई में 50 मिलीमीटर से अधिक नहीं होगा, इसके सिवाय विज्ञापन के प्रमुख अग्रभागों के मध्य मापित और पूर्णतया धातुगत तार युक्त शीशे से निर्मित मोटाई में 200 मीटर से अनधिक मापवाला बरामदा बाक्स विज्ञापन, परिनिर्मित किया जा सकता है।

[घ-3] संरेखण—प्रत्येक बरामदा विज्ञापन, भवन, लाइन के समान्तर स्थापित किया जायेगा, सिवाय इसके कि किसी बरामदा से लटकने वाले ऐसे किसी विज्ञापन को भवन लाइन के समकोण पर स्थापित किया जायेगा।

[घ-4] स्थान—बरामदा पटिटका को, जो लटकने वाले विज्ञापन पट्ट से भिन्न हो, निम्नलिखित स्थानों पर लगाया जाएगा—

(एक) बरामदा छत की ओरी के ठीक ऊपर इस तरह से कि वह छत के गटर से पिछले भाग से वहिर्निष्ट न हो।

(दो) बरामदा मुंडेर या आलंब के सामने किन्तु उसके ऊपर या नीचे नहीं, परन्तु ऐसी मुंडेर या आलंब ठोस हो और विज्ञापन पटिटका ऐसी मुंडेर आलंब के बाहरी अग्रभाग से 20 सेमी से अधिक वहिर्निष्ट न हो।

(तीन) पेन्ट किए हुए विज्ञापन पटिटकाओं की दशा में बरामदा धरनों या मुंडेरों पर।

[घ-5] लटकते हुए बरामदा विज्ञापन पटिटकाओं की ऊँचाई—किसी बरामदे से लटकता हुआ प्रत्येक बरामदा विज्ञापन पटिटका इस प्रकार से लगायी जाएगी कि ऐसी पटिटका का सबसे निचला भाग खड़ा से कम से कम 2.5 मीटर ऊँचाई पर हो।

[घ-6] प्रक्षेपण—घ-4 में यथा उपबन्धित के सिवाय कोई भी बरामदा विज्ञापन पटिटका उस लाइन से, जिससे वह लगी हो, बाहर निकली हुई नहीं होगी।

(ड) दीवार विज्ञापन—प्रत्येक दीवार विज्ञापन पट्ट 3 गुणे 3 मीटर को एक यूनिट मानते हुए बिना किसी ज्वलनशील पदार्थ के परिनिर्मित किया जायेगा।

[क] प्रतिबन्धित क्षेत्रों/सार्वजनिक कार्यालयों, न्यायालयों, धार्मिक स्थलों, शिक्षण संस्थाओं, राष्ट्रीय स्मारकों आदि की दीवारों पर विज्ञापन प्रतिषिद्ध रहेगा।

[ख] नगर/स्थल के कलात्मक सौदर्य, व अन्य विशिष्टियों के दीवार विज्ञापन के सम्बन्ध में मामले में नगर आयुक्त द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

(च) प्रक्षेपण विज्ञापन पटिटकायें—[च-1] सामग्री-प्रत्येक प्रक्षेपण विज्ञापन पटिटका और उसका अवलम्ब एवं चौखट पूर्णतः अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होगा।

[च-2] प्रक्षेपण एवं ऊँचाई—कोई भी प्रक्षेपण पटिटका अपने अवलम्ब या चौखट के किसी भाग में भवन के बाहर 02 मीटर से अधिक प्रक्षिप्त नहीं होगी किन्तु यह मार्ग के सामने भूखण्ड लाइन के बाहर प्रक्षिप्त नहीं होगी, जब यह मार्ग में प्रक्षिप्त होती हो तो यह सड़क के 2.5 मीटर की स्पष्ट ऊँचाई पर होगी।

(क) समस्त प्रक्षेपण पटिटकाओं के अक्ष भवन के मुख्य अग्रभाग के दाहिने कोण पर होंगे। जहाँ अग्रभाग के लिए वी-निर्माण किया गया हो, वहाँ भवन के सामने विज्ञापन पटिटका का आधार कुल प्रक्षेपण की सीमा से अधिक नहीं होगा।

(ख) कोई भी प्रक्षेपण पटिका छत की ओरी के ऊपर या भवन आकृति के उस भाग, जिससे वह लगी हो, के ऊपर नहीं निकली होगी।

(ग) किसी प्रक्षेपण पटिका की अधिकतम ऊँचाई 6 मीटर होगी।

[च-3] अवलम्ब एवं संलग्नक-प्रत्येक प्रक्षेपण पटिका किसी भवन से सुरक्षित रूप से लगी होगी जिससे किसी भी दिशा में उसके संचलन को संरक्षण रोधी धातु दीवारगीर, रॉड्स एंकर्स, अवलम्ब, चेन्स या वायररोप्स, जो इस प्रयोजन के लिए निर्मित हो, द्वारा रोका जा सके और इस प्रकार व्यवस्थित की जा सके कि इस प्रकार लगाये जाने की आधी युक्तियाँ परिस्थितिवश विज्ञापन पटिका को थाम सकें। रैटपल्स या कीलों का प्रयोग किसी भवन के किसी प्रक्षेपण विज्ञापन पटिका को कसने के लिए नहीं किया जायेगा।

[च-4] अतिरिक्त भार-ऐसी प्रक्षेपण संबंधी संरचनाएं जो किसी सीढ़ी पर या अन्य सेवाई युक्ति में, चाहे वह सेवाई युक्ति के लिए विशेष रूप से बनायी गयी हों या न हो, किसी व्यक्ति को थामने के लिए प्रयोग में लायी जा सकती हो, पूर्वानुमानित अतिरिक्त भार को थामने के लिए सक्षम होगी किन्तु किसी भी दशा में कल्पित रूप से भार डालने के बिन्दु पर या अत्यधिक उत्केन्द्रीय भार डालने के बिन्दु पर डाला गया केन्द्रित क्षेत्रिज भार 500 किलोग्राम से और ऊर्ध्वधर केन्द्रित भार 1500 किलोग्राम के कम के लिए सक्षम नहीं होगी। भवन संघटक, जिससे प्रक्षेपण विज्ञापन पटिका लगाई जाय इस प्रकार निर्मित होगा कि अतिरिक्त भार को थाम सके।

(छ) शामियाना विज्ञापन पटिका—[छ-1] सामग्री-शामियाना विज्ञापन पटिकाएँ पूर्ण रूप से धातु या अन्य अनुमोदित अज्वलनशील पदार्थों से निर्मित होंगी।

[छ-2] ऊँचाई-ऐसी विज्ञापन पटिकाएँ 02 मीटर से ऊँची नहीं होंगी और न तो वे शामियाना की पट्टी से नीचे और न पगड़ंडी से ऊपर 2.5 मीटर से नीचे होंगी।

[छ-3] लम्बाई-शामियाना विज्ञापन पटिकाएँ पूरी लम्बाई से अधिक हो सकती हैं किन्तु वे किसी भी दशा में शामियाना के छोर से बाहर प्रक्षिप्त नहीं होंगी।

(ज) आकाश विज्ञापन पटिकाएँ—आकाश विज्ञापन पटिका—आकाश विज्ञापन पटिकाओं के मामले में ऐसी आकाश विज्ञापन पटिका की ऊँचाई 30 मीटर से अधिक नहीं होगी। न्यूनतम ऊँचाई ऐसी होनी चाहिए कि उससे वाहन या पैदल संबंधी आवागमन में अवरोध या वाधा उत्पन्न न हो।

(झ) अस्थायी विज्ञापन पटिकाएँ—अस्थायी विज्ञापन पटिकाएँ—सचल सर्कस विज्ञापन पटिकाएँ भेला विज्ञापन पटिकाएँ एवं सार्वजनिक समारोहों के दौरान सजावट।

[झ-1] प्रकार-झ-2 के अनुसार यथा परिनिर्मित अस्थायी विज्ञापन पटिकाओं से मिन्न निम्नलिखित विज्ञापन पटिकाओं में से कोई विज्ञापन पटिका परिनिर्मित नहीं की जायेगी—

(क) कोई ऐसी विज्ञापन पटिका जो बरामदा के स्तम्भों पर या उनके बीच पेंट की या लगायी गयी हो।

(ख) कोई ऐसी विज्ञापन पटिका जो किसी बरामदा या बालकनी की किसी पट्टी बेयरर, बीम या आलम्ब के ऊपर या नीचे प्रक्षिप्त हो।

(ग) कोई विज्ञापन पटिका जो प्रदीप्त या प्रकाशमान हो और जो किसी बरामदा या बालकनी के किसी ढाल या गोल किनारे के पट्टी, बेयरर, बीम या आलम्ब पर लगायी गयी हो।

(घ) किसी सड़क के आर-पार परिनिर्मित कोई पताका विज्ञापन पटिका।

(ङ) विज्ञापन पटिका को एक दिशा से दूसरी दिशा में लटकने से रोकने के लिए कोई ऐसी विज्ञापन पटिका जो सुरक्षित रूप से न लगी हो।

(च) कपड़े पेपर मैच या समान या सदृश सामग्री से निर्मित कोई विज्ञापन पटिका किन्तु उनके अन्तर्गत होडिंग या घरों के लाइसेन्स प्राप्त पेपर विज्ञापन पटिकाएं नहीं हैं।

(छ) अनन्य रूप से आवासीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए गए या प्रयोग किए जाने के लिए आशाधित किसी भूखण्ड पर कोई विज्ञापन पटिका जो किसी ब्रास प्लेट या बोर्ड से भिन्न हो और आकार में अधिमानतः 600 मिलीमीटर गुणे 450 मिलीमीटर से अधिक न हो व किसी आवास की दीवार या प्रवेश द्वार या दरवाजे या गेट पर लगी हो और फ्लैट के किसी ब्लाक के मामले में प्रवेश हाल के दीवार या किसी फ्लैट के किसी प्रवेश द्वार पर लगी हो, और

(ज) पेड़ों, चट्टानों या पहाड़ियों या तत्समान प्राकृतिक स्थलों पर कोई विज्ञापन पटिका।

#### [झ-2] अस्थाई विज्ञापन पटिकाओं की आवश्यकता—

(ए) सार्वजनिक समारोहों के दौरान सभी अस्थायी विज्ञापन, सचल सर्कस और मेला चिन्ह और पटिकाएं सजावट नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार होंगे और इस प्रकार परिनिर्मित होंगे कि उससे किसी रास्ते में अवरोध न पहुँचे और आग के जोखिम को कम करने में बाधा न पहुँचे।

(दो) ऐसी किसी विज्ञापन पटिका पर अकित विज्ञापन केवल कारोबार, उद्योग या किसी ऐसे अन्य व्यवसाय से संबंधित होगा जो उस परिसर में या उसके भीतर किया जा रहा हो जिस पर विज्ञापन पटिका परिनिर्मित या लगायी गयी हो। अस्थायी विज्ञापन पटिका को जैसे ही वह फट जाय या क्षतिग्रस्त हो जाय यथाशीघ्र और किसी भी दशा में, परिनिर्माण के पश्चात जब तक विस्तारित न किया जाय, 14 दिन के भीतर हटा दिया जायेगा।

(तीन) नगर आयुक्त किसी अस्थायी विज्ञापन पटिका या सजावट को तत्काल हटाने के आदेश यदि उसकी राय में सार्वजनिक सुविधा व सुरक्षा के हित में आवश्यक हो, देने के लिए सशक्त होगा।

(चार) पोल विज्ञापन पटिका—पोल विज्ञापन पटिकाएं पूर्णतया अज्वलनशील पदार्थ से निर्मित होंगी और यथास्थिति, भूमि या छत की आवश्यकताओं के अनुरूप होंगी। ऐसी विज्ञापन पटिकाएं स्ट्रीट लाइन के बाहर तक बढ़ाई जा सकती हैं, यदि वे प्रक्षेपण विज्ञापन पटिकाओं के उपबन्धों के अनुकूल हों।

(पांच) झाण्डी या कपड़े की विज्ञापन पटिकाएं—किसी भवन से संलग्न या उससे लटकने वाली अस्थायी विज्ञापन पटिकाएं और झण्डियां जो कपड़े या ज्वलनशील पदार्थ से निर्मित हों, सुदृढ़ रूप से बनी होंगी और अपने अवलंब से सुरक्षित रूप से लगी होंगी। जैसे ही वे फट जायें या क्षतिग्रस्त हो जायें, उन्हें यथाशीघ्र और परिनिर्माण के अधिकतम 14 दिन के पूर्व ही हटा लिया जायेगा सिवाय उस दशा के जब वे किसी सायबाल या शामियाना से लटकाये जाने के लिए अस्थायी विज्ञापन पटिकाओं को, 10 दिन की अवधि तक लटकाये जाने के लिए अनुमति प्राप्त हों।

(छ:) अधिकतम आकार : अस्थाई विज्ञापन पटिकाएं क्षेत्रफल में 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं होंगी।

(सात) प्रक्षेपण—कपड़े की अस्थाई विज्ञापन पटिकाएं और तत्समान ज्वलनशील निर्माण किसी मार्ग या सार्वजनिक स्थान के ऊपर या उसके अन्दर 300 मिलीमीटर से अधिक नहीं बढ़ेगी सिवाय उस दशा के जब ऐसी चिन्ह पटिकाएं बिना फ्रेम के निर्मित होने पर किसी सायबान या शामियाना के सामने अवलम्ब के रूप में लगाई जा सकती हैं या उसकी निचली पट्टी से लटकाई जा सकती है किन्तु वे फुटपाथ के 2.5 मीटर से अधिक निकट तक नहीं बढ़ी होनी चाहिए।

(आठ) विशेष अनुमति—भवन से लटकती हुई या पोल पर लटकती हुई सभी ऐसी अस्थाई झण्डियाँ जो मार्ग या सार्वजनिक स्थलों के आर-पार बढ़ जाये, नगर आयुक्त के अनुमोदन के अधीन होंगी।

(नौ) नगर निगम, द्वारा स्थापित किये गये विल फलक को अस्थाई इश्तहारों, विज्ञापन पटिकाओं, प्रतीकों, मनोरंजन आदि के लिए प्रयोग में लाया जायेगा जिससे कि नगर की दीवारें विरुपित न हों।

टिप्पणी—मनोरंजन और अन्य कार्यक्रमों से संबंधित इश्तहार को इश्तहार फलक से भिन्न भवन की दीवारों पर नहीं लगाया जाएगा। ऐसे इश्तहार और पोस्टरों के लिए उत्तरदायी संगठन ऐसे विरुपण और विज्ञापन पटिकाओं को न हटाने के लिए उत्तरदायी माने जायेंगे।

16—सभी विज्ञापन पटों/पटिकाओं के लिये सामान्य अपेक्षायें—(१) भार-विज्ञापन पटिकाएँ इस प्रकार निर्मित होंगी कि वे भाग-६ संरचनात्मक अभिकल्प खण्ड-१, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भार बल और प्रभाव में दिये गये आंधी डेड से सिस्मिक और अन्य लोड को सुरक्षित रूप से सहन कर सके।

(२) प्रदीपि—कोई भी विज्ञापन पटिका जो विद्युत साधनों और विद्युत युक्तियों या वायरिंग से भिन्न हो, राष्ट्रीय भवन संहिता 2005 के भाग-६ भवन 'सेवाएं' खण्ड-२ विद्युत और 'सम्बद्ध संस्थापन' की अपेक्षाओं के अनुसार संस्थापित या प्रकाशित नहीं की जायेगी। किसी भी दशा में कोई खुली चिंगारी या दीपि प्रदर्शन के उद्देश्यों के लिए तब तक नहीं इस्तेमाल की जायेगी, जब तक वह नगर आयुक्त द्वारा विशेष रूप से अनुमोदित न हो।

### (३) विज्ञापन पटिकाओं की डिजाइन और स्थान—

(क) किसी भी विज्ञापन पटिका से पदयात्रियों के आवागमन, अग्नि से बचाव, निकास, या अग्नि शमन प्रयोजनों के साधन के रूप में प्रयुक्त दरवाजे या खिड़की या द्वार में रुकावट नहीं आयेगी।

(ख) किसी भी पटिका से प्रकाश व संवातन के द्वार में किसी प्रकार या ढंग से रुकावट नहीं होगी।

(ग) यदि संभव हो, विज्ञापन पटिकाओं को एक साथ सम्मिलित रूप में एकल की जानी चाहिए। मूदृश्य में अव्यवस्थित विज्ञापन पटिका से बचना चाहिए।

(घ) अनावश्यक खंभों को कम करने और विज्ञापन पटिकाओं को प्रकाशित करने को सुगम बनाने के लिए पटिकाएँ लाइटिंग फिल्स्चर से युक्त होनी चाहिए।

(ङ) सूचना विज्ञापन पटिकाएँ स्वाभाविक सभा स्थलों पर लगाई जानी चाहिए और उन्हें दर्शनीय फर्नीचर के अभिकल्प में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

(च) जहाँ विज्ञापन पटिकाओं से पैदल आवागमन में बाधा पहुँचे वहाँ विज्ञापन पटिकाओं को लगाये जाने से बचना चाहिये।

(छ) विज्ञापन पटिका इस प्रकार लगानी चाहिए जिससे कि सामने से और पीछे से पदयात्रियों का आवागमन संभव हो सके।

(ज) दृष्टिहीनों और आंशिक रूप से दृष्टिहीनों के लिए पठनीय बनाने के लिए विज्ञापन पटिका के किनारे ब्रेल पटिकाएँ लगाई जानी चाहिए या उभरे हुए अक्षरों का प्रयोग किया जाना चाहिए।

(झ) कोई भी विज्ञापन पटिका किसी भी वृक्ष या झाड़ी में नहीं लगायी जायेगी।

(४) दहनशील पदार्थों का प्रयोग—[एक] सजावटी विशिष्टता—डलाई, ढक्कन लगाने, ब्लाक्स, अक्षरों व जाली के लिए जहाँ अनुमति हो और पूर्णतः सजावटी विशिष्टता वाले विज्ञापन पटिकाओं के लिए प्रयोग किये जा सकने वाले लकड़ी के सदृश दहनशील विशेषता वाले लकड़ी या प्लास्टिक या अन्य पदार्थ।

[दो] विज्ञापन पटिका का फलक-विज्ञापन पटिका का अग्रभाग अनुमोदित दहनशील पदार्थ से बना होना चाहिए, परन्तु प्रत्येक अग्रभाग का क्षेत्रफल 10 वर्गमीटर से अधिक नहीं होना चाहिए और विद्युत लाइटिंग की वायरिंग धातु की नाली में बन्द होनी चाहिए और फलक से 5 सेंटीमीटर से अन्यून के निकास के साथ संस्थापित होनी चाहिए।

(5) विज्ञापन पटिकाओं को हटाये जाने से नुकसान या विरुपण—जब भी कोई विज्ञापन पटिका हटाई जाये चाहे यह कार्य नगर आयुक्त की नोटिस या उसके आदेश के कारण हो या अन्यथा हो, ऐसे भवन या स्थल जिस पर या जिससे ऐसी विज्ञापन पटिका, प्रदर्शित की गयी थी, में किसी नुकसान या विरुपण की क्षतिपूर्ति विज्ञापनकर्ता से की जायेगी। यदि विज्ञापन पटिका के हटाये जाने के दौरान सड़क की सतह/फुटपाथ/यातायात सिग्नल या किसी अन्य सार्वजनिक उपयोगिता सेवा को क्षति पहुँचाती है तो विज्ञापनकर्ता से वसूल की गयी धनराशि को निगम द्वारा सम्बन्धित विभाग को अन्तरित कर देना चाहिए अथवा तत्काल मरम्मत करके देना चाहिए।

(6) अनुज्ञा-पत्र के ब्योरे का प्रदर्शन—अनुज्ञा-पत्र का ब्यौरा और अनुज्ञा की समाप्ति का दिनांक प्रत्येक विज्ञापन पटिका पर इस प्रकार लगाया जाएगा कि इसे नगर नेत्रों द्वारा देखा व पढ़ा जा सके।

17—दुकानों पर विज्ञापन—किसी दुकान पर कोई भी विज्ञापन नगर आयुक्त की पूर्व अनुमति के बगैर और अनुज्ञा शुल्क के पूर्व भुगतान के बिना दफ्ती लटकाकर, स्टीकर चस्पा करके, पेटिंग, लेखन द्वारा या किसी अन्य विधि से संप्रदर्शन द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जायेगा।

स्पष्टीकरण—(एक) यदि सामग्री बेचे जाने वाली दुकान का नाम अथवा उसके बिना भी, फलक लटकाकर, पेटिंग द्वारा या किसी भी अन्य विधि से संप्रदर्शित या प्रदर्शित किया जाय तो प्रत्येक दुकान के लिए केवल एक ऐसे विज्ञापन पट्ट को विज्ञापन नहीं माना जाएगा और वह इस उपविधि के अंदर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय नहीं होगा।

(दो) परन्तु यदि कोई विज्ञापन लटकाकर, चिपकाकर अथवा किसी अन्य रीति से इस प्रकार संप्रदर्शित किया जाय, कि उसमें विक्रय की जाने वाली वरकुओं का उल्लेख हो और युग्म आदि का विवरण हो तथा वह सामान्य जनता का ध्यान विज्ञापन के रूप में स्वतंत्र रूप से आकर्षित कर रहा हो तो वह इस उपविधि के अंदर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

18—मार्गाधिकार (राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर) के भीतर अनुज्ञा प्राप्त विज्ञापन—सम्बन्धित मार्ग की क्षमता, क्षेत्र के सम्पूर्ण सौंदर्यबोध और सार्वजनिक सुरक्षा पर निर्मित करते हुए निम्नलिखित विज्ञापनों को मार्गाधिकार के भीतर राष्ट्रीय राजमार्ग/राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी।

(1) मार्ग प्रकाश के खम्भों पर विज्ञापन—

[एक] अभिकल्प—विज्ञापन फलक का आकार चौड़ाई 0.79 मीटर युग्म 1.2 मीटर से अधिक नहीं, रखी जायेगी और विज्ञापन के निचले तलाकी भूतल से ऊँचाई 2.5 मीटर से कम नहीं रखी जायेगी। किसी भी दशा में विज्ञापन फलक वाहन मार्ग में प्रक्षिप्त नहीं होगा।

(2) बस सायबानों पर विज्ञापन—अभिकल्प—बस सायबानो (बस शैल्टर) के विज्ञापन फलक पर क्षेत्र व मार्ग नम्बर को लिए 1.5 मीटर फलक की लम्बाई को छोड़ते हुए विज्ञापन की अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। बस सायबान पर विज्ञापन पट्ट की लम्बाई सायबान की कुल लम्बाई से अधिक न होगी तथा अधिकतम ऊँचाई 0.90 मीटर रखी जायेगी। प्रत्येक बस सायबान निगम द्वारा उपलब्ध करायी गयी डिजाइन के अनुसार ही निर्मित कराया जायेगा तथा उस पर नगरीय परिवहन विभाग द्वारा अनुमोदित किराया सूची, सिटी बसों का रुट नंबर एवं उसके निर्धारित मार्ग का विवरण अंकित करना अनिवार्य होगा। सम्बन्धित विज्ञापनकर्ता,

जिसे बस सायबान पर विज्ञापन प्रदर्शन की अनुज्ञा प्रदान की गयी हो, उसे बस सायबान का अनुरक्षण रख्य के व्यय पर समय-समय पर कराना अनिवार्य होगा।

(3) स्थानों की पहचान के लिए महत्वपूर्ण जंक्शनों पर विज्ञापन—नियम-13 में विहित यातायात सुरक्षा उपायों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न स्थानों पर पहुँचाने को सुगम बनाने के लिए नगर आयुक्त द्वारा महत्वपूर्ण मार्ग जंक्शनों पर  $2 \text{ मीटर} \times 0.35 \text{ मीटर}$  आकार की पट्टी से युक्त मानक रूप में फलक लगाये जा सकते हैं। विज्ञापनकर्ता को नगर आयुक्त के अनुमोदन के अनुसार फलक की पटियों पर संस्तुत रंग व आकार में नामों, दूरी व दिशा आदि पेंट करने की अनुज्ञा होगी।

(4) यातायात रोटरी/सड़क—नगर आयुक्त यातायात विभाग (राजपत्रित अधिकारी/यातायात प्रभारी) के परामर्श से आवंटन समिति की संस्तुति पर यातायात रोटरी/सड़क/यातायात बूथ के विकास व रख-रखाव की अनुज्ञा दे सकते हैं। यातायात रोटरी/आईलैण्ड/यातायात/ पुलिस बूथ पर उसकी कुल चौड़ाई एवं ऊँचाई से अधिक का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं किया जायेगा तथा विज्ञापन की ऊँचाई अधिकतम  $0.90 \text{ मीटर}$  रखी जायेगी। इसके लिए विज्ञापनकर्ता को उपविधि में विहित दरों पर विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क तथा आवंटन समिति द्वारा निर्धारित न्यूनतम प्रीमियम जमा करना होगा।

(5) मैदानों, पगड़ियों के किनारे रक्षक पटियाँ—नगर आयुक्त अभिकरण को मैदान/पगड़ी के किनारे रक्षक पटियों की व्यवस्था करने एवं उनका रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित पटियों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। अभिकरण रक्षक पट्टी के अभिकल्प के लिए नगर आयुक्त को अनुमोदन प्राप्त करने और नगर आयुक्त के संतोषप्रद रूप में समय-समय पर रक्षक पट्टी/विभाजक का रख-रखाव करने और मुख्यतः पेंट करने के लिए आबद्धकर होगा। इस पर लगने वाले विज्ञापन पट का अधिकतम आकार  $0.45 \text{ मी} \times 0.75 \text{ मी}$  होगा तथा सड़क से न्यूनतम ऊँचाई  $2.5 \text{ मी}$  होगी।

(6) वृक्ष रक्षक (ट्री गार्ड)—नगर आयुक्त अभिकरण को पौधों के चारों तरफ अनुमोदित अभिकल्प के वृक्ष रक्षक की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने के साथ-साथ अभिकरण को नगर आयुक्त द्वारा यथा अनुमोदित वृक्ष रक्षकों पर नाम/उत्पाद को संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा दे सकता है परन्तु  $0.90 \text{ मीटर}$  से कम चौड़े डिवाइडरों पर ट्री-गार्ड लगाये जाने की अनुमति नहीं होगी।

(सात) पुष्प पात्र स्टैण्ड (फ्लावर पॉट स्टैण्ड)—नगर आयुक्त किसी अभिकरण को सड़क विभाजक पर अनुमोदित अभिकल्प के पुष्प पात्र स्टैण्ड की व्यवस्था एवं रख-रखाव करने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं। दो पुष्प पात्र स्टैण्डों के मध्य कम से कम  $05 \text{ मीटर}$  की दूरी होनी चाहिए। अधिकतम  $0.45 \text{ गुणे } 0.75 \text{ मीटर}$  माप के विज्ञापन पट्ट पर अपने दोनों ओर संप्रदर्शित किये जा सकते हैं, परन्तु सड़क सतह से ऊपर विज्ञापन पट्ट के निचले भाग का उर्ध्व निकास  $2.5 \text{ मीटर}$  से कम नहीं होना चाहिए।

परन्तु यह कि विज्ञापन पट्ट की चौड़ाई दोनों ओर के विभाजकों की चौड़ाई से  $0.25 \text{ मीटर}$  कम होगी और पुष्प पात्र को उसके सरेखण (विभाजक के दिशा के समानान्तर) में रखा जाएगा।

19-छूट-(1) इस उपविधि की कोई बात निम्नलिखित विज्ञापनों एवं विज्ञापन पट्टों पर लागू नहीं होगी—

[एक] यदि किसी कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान का केवल नाम किसी ऐसे विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाता है जो ऐसे कार्यालय, दुकान या अधिष्ठान पर परिनिर्मित या संस्थापित किया गया हो।

[दो] यदि किसी आवासीय भवन के स्वामी का केवल नाम व पता ऐसे भवन से लगे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जाये।

[तीन] किसी सरकारी या अर्द्धसरकारी कार्यालय का नाम व पता ऐसे परिसरों के भीतर रखे किसी विज्ञापन पट्ट पर प्रदर्शित किया जायेगा।

[चार] यातायात विभाग द्वारा प्रदत्त सभी यातायात विज्ञापन पट्ट, संकेतक, यातायात चेतावनी और संदेश, किसी न्यायालय के आदेश या निर्देशों के अधीन संप्रदर्शित सभी नोटिसें, पेट्रोल और डीजल की उपलब्धता को इंगित करने वाले सभी विज्ञापन पट्ट, परन्तु उनकी माप ०.६ मीटर गुणे ०.६ मीटर से अधिक न हो।

[पांच] यदि विज्ञापन पट्ट किसी भवन की खिड़की के भीतर प्रदर्शित किये जाय किन्तु उसमें भवन का प्रकाश व संवातन प्रभावित न हो।

[छ:] यदि यह ऐसी भूमि या भवन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता है, के भीतर चलाये जा रहे व्यापार या कारबाह से या ऐसी भूमि या भवन के विक्रय मनोरंजन या बैठक या अक्षरांकन या उसके भीतर किसी अन्य कार्य से या किसी ऐसी ट्रैमकार, ओमनीबस या अन्य वाहन, जिस पर ऐसा विज्ञापन प्रदर्शित किया जाता हो, के स्वामी द्वारा चलाये जा रहे व्यापार या कारबाह से संबंधित हो, परन्तु यह .90 वर्गमीटर से अधिक न हो।

[सात] इसके अतिरिक्त नियम 19 के उप नियम (2) से (5) के अधीन आच्छादित विज्ञापन पट्टों के लिए किसी अनुज्ञा की आवश्यकता नहीं है। फिर भी ऐसी छूट से यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि विज्ञापन पट्ट का स्वामी इस उपविधि के अनुपालन में परिनिर्माण या रखरखाव के उत्तरदायित्व से निर्मुक्त है।

(2) दीवार विज्ञापन पट्ट—नीचे सूचीबद्ध दीवारों के लिए किसी अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

[एक] भण्डारण विज्ञापन पट्ट—किसी प्रदर्शन खिड़की के ऊपर किसी भण्डारण या कारबाह अधिष्ठान के दरवाजे के ऊपर परिनिर्मित या अप्रकाशित विज्ञापन पट्ट जो मालिक के नाम और उसमें संचालित कारबाह की प्रकृति को घोषित करते हों, विज्ञापन पट्ट 01 मीटर से ऊँचे और कारबाह अधिष्ठान की चौड़ाई से अधिक नहीं होने चाहिए।

[दो] सरकारी भवन विज्ञापन पट्ट : किसी नगर पालिका राज्य या केन्द्रीय सरकार के भवन पर परिनिर्मित ऐसे विज्ञापन पट्ट जो अध्यासन के नाम प्रकृति या सूचना को घोषित करते हों।

[तीन] नाम पट्ट—किसी भवन या संरचना पर परिनिर्मित कोई ऐसा विज्ञापन पट्ट जो भवन के अध्यासी के नाम को इंगित करता हो और जो क्षेत्रफल में ०.५ वर्ग मीटर से अधिक न हो।

[चार] ऐसे विज्ञापन पट्ट जो किसी यात्रा मार्ग, स्टेशन या सार्वजनिक सुविधा के स्थानों की ओर इंगित करते हों।

(3) अस्थाई विज्ञापन पट्ट—[एक] निर्माण स्थल संकेत : निर्माण संकेत, इंजीनियर एवं वास्तुविद के संकेत, और अन्य समान संकेत जो निर्माण अभियान के सम्बन्ध में नगर आयुक्त द्वारा प्राधिकृत किये जायें।

[दो] विशेष संप्रदर्शन संकेत—अवकाशों, सार्वजनिक प्रदर्शन या नागरिक कल्याण की प्रोन्नति या धर्मार्थ प्रयोजन के लिए प्रयोग किये जाने वाले विशेष सजावटी संप्रदर्शन, जिस पर, कोई वाणिज्यिक विज्ञापन न हो, परन्तु यह कि नगर आयुक्त किसी परिणामिक नुकसान के लिये उत्तरदायी नहीं है। (नियम-15 झ(2) 'अस्थाई विज्ञापन पट्ट' के लिए 'आवश्यकता' देखिए)

20—विशेष विज्ञापन—(1) यदि अनुसूची-2, जिसके अन्तर्गत प्रतिषिद्ध क्षेत्र भी है, द्वारा कोई विशेष या सार्वजनिक हित का विज्ञापन आच्छादित नहीं है तो नगर आयुक्त उसे ऐसे अनुबन्ध एवं शर्तों पर और इस उपविधि

द्वारा निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के दो गुना, अनुज्ञा शुल्क के भुगतान पर परिनिर्मित करने, प्रदर्शित करने, संप्रदर्शित करने, लगाने, चर्चा करने, लिखने, रेखांकन करने या लटकाने की अनुज्ञा प्रदान कर सकते हैं।

(2) प्रत्येक ऐसे अनुज्ञा, अनुज्ञा के दिनांक से एक माह तक के लिए विधिमान्य होगी। ऊपर उल्लिखित अवधि की समाप्ति पर अनुज्ञा को अग्रतर एक माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। यदि अनुज्ञा की आवश्यकता किसी अग्रतर अवधि के लिए हो तो नगर आयुक्त के समक्ष स्थीकृति का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

**21—विशेष नियन्त्रण क्षेत्र—**(१) जब कहीं नगर आयुक्त की राय में इस उपविधि में निबन्धनों के अनुसार अन्यथा अनुमति विज्ञापन युक्ति से निगम के अधिकार क्षेत्र के भीतर किसी विशिष्ट क्षेत्र को क्षति पहुँचने या उसके विरुपित होने की सम्भावना हो, तो वह ऐसे क्षेत्र को विशेष नियन्त्रण क्षेत्र घोषित कर सकता है। सार्वजनिक उपयोग के पार्कों और भूमि को भी विशेष नियन्त्रण क्षेत्र के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।

(2) उपनियम (1) के उपबन्धों के अध्यधीन रहते हुए, ऐसे क्षेत्र के भीतर किसी विज्ञापन का परिनिर्माण और प्रदर्शन निषिद्ध किया जायेगा या किसी प्रकार से जैसा कि नगर आयुक्त द्वारा आवश्यक समझा जाय सीमित किया जायेगा। नगर आयुक्त निगम की अधिकारिता वाले क्षेत्र में व्यापक प्रसार वाले किसी एक या अधिक समाचार-पत्रों में, ऐसे क्षेत्र की घोषणा करने के सम्बन्ध में अपने आशय को प्रकाशित करेगा। ऐसे क्षेत्र के भीतर सम्पत्ति का कोई स्वामी, जो ऐसी घोषणा से व्यथित अनुभव करे, ऐसे क्षेत्र की घोषणा के विरुद्ध ऐसे प्रकाशन से एक माह के भीतर नगर आयुक्त को अपील कर सकता है, जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

(3) किसी बरामदा/दुकान विज्ञापन की शब्दावली, विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में नगर आयुक्त द्वारा अनुमत हो, स्वामी या फर्म के नाम, जो उस परिसर के अध्यासी हो, तक सीमित होगी। भवन या संस्था का नाम, चलाये जा रहे साधारण व्यवसाय या व्यापार का नाम यथा “जैलर्स” “कैफे” “डारिंग” या भवन के प्रवेश की स्थिति के सम्बन्ध में सूचना हो सकती है या सिनेमा या नाटक कार्यक्रम के सम्बन्ध में या इसी प्रकार की कोई सूचना हो सकती है। किसी भी बरामदे के विज्ञापन में विशेष नियन्त्रण के किसी क्षेत्र में व्यापार की किसी विशिष्ट वस्तु का विज्ञापन नहीं होगा और न ही मूल्य या मूल्य में कमी से सम्बन्धित ऐसा कोई विज्ञापन होगा।

(4) विशेष नियन्त्रण के क्षेत्र से तीस मीटर दूरी के भीतर उप नियम (3) के अधीन दी गयी अनुज्ञा के सिवाय समान्यतः कोई अन्य विज्ञापन पट्ट नहीं प्रदर्शित होगा।

**22—निषिद्ध क्षेत्र की घोषणा—**निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार किसी क्षेत्र या किन्हीं क्षेत्रों को विज्ञापन या विज्ञापनपटों का परिनिर्माण, प्रदर्शन, संप्रदर्शन, लगाना, लेखन, आरेखण या लटकाने के लिए निषिद्ध घोषित करें। इस प्रकार के आदेश के विरुद्ध घोषणा की तिथि से एक माह के भीतर अपील आयुक्त, लखनऊ मण्डल के समक्ष की जा सकती है।

**23—झण्डों पर रोक—**(१) कोई भी व्यक्ति नगर आयुक्त से पूर्व में प्राप्त लिखित अनुज्ञा के बिना किसी झण्डी का प्रदर्शन, सम्प्रदर्शन या लटकाने की किया नहीं करेगा।

(2) कोई भी अनुज्ञा निगम या राज्य सरकार या केन्द्र सरकार द्वारा निषिद्ध क्षेत्र के रूप में निर्धारित क्षेत्र में इस उपविधि के अधीन प्रदर्शन नहीं की जायेगी।

(3) इस उपविधि का उल्लंघन कोई भी व्यक्ति ऐसी शास्ति का दायी होगा, जो नगर आयुक्त द्वारा अधिरोपित की जाय और वह प्रति झण्डों दो सौ रुपये से कम नहीं होगी।

(4) नगर आयुक्त इस नियम में निर्दिष्ट झण्डी को हटा सकता है और उसे सम्पहु या विनष्ट कर सकता है।

**24—अनुरक्षण और जिशेषण—**(१) अनुरक्षण-समीक्षण के लिए अनुज्ञा अपेक्षित है, उन्हें अवलम्बनी, रस्सा और रिथरक के साथ भली प्रकार मरम्मत किये जायेंगे जो कि ढांचागत और कलात्मक दोनों ही

दृष्टिकोण से होगी और जब चमकीले या अनुमोदित अज्वलनशील सामग्री से निर्मित नहीं होंगे तो उन पर मोर्चा लगने से रोकने के लिए रंग-रोगन समय-समय पर किया जायेगा।

(2) **सुव्यवस्था**—प्रत्येक विज्ञापन के स्वामी का यह कर्तव्य और उत्तरदायित्व होगा कि वह विज्ञापन हेतु छेके गये परिसर में सफाई, स्वच्छता, आवश्यक मरम्मत और स्वास्थ्य सम्बन्धी परिस्थितियों का ध्यान रखे।

(3) **निरीक्षण**—प्रत्येक विज्ञापन, जिसके लिए परमिट जारी किया गया हो और प्रत्येक विद्यमान विज्ञापन जिसके लिए कोई परमिट अपेक्षित हो, का निरीक्षण प्रत्येक पंचांग वर्ष में कम से कम एक बार किया जायेगा।

**25—प्रवेश और निरीक्षण की शक्ति**—नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई निगम अधिकारी या सेवक कोई निरीक्षण, खोज, पर्यवेक्षण, माप या जाँच करने के प्रयोजन के लिए या ऐसा कार्य निष्पादित करने के लिए जो इस उपविधि द्वारा तदधीन प्राधिकृत हो या जो किसी प्रयोजन के लिए आवश्यक हो या इस उपविधि के किसी उपबंध के अनुसरण में सहायकों या श्रमिकों के साथ या उनके बिना किसी परिसर में या उस पर प्रवेश कर सकता है, परन्तु—

[एक] सूर्योदय और सूर्यास्त के मध्य के सिवाय, अन्य किसी समय, अध्यासी को नोटिस दिये बिना अथवा भूमि या भवन के स्वामी/अध्यासी के न होने पर भूमि/भवन में प्रवेश नहीं किया जायेगा।

[दो] प्रत्येक स्थिति में ऐसी भूमि या भवन से महिला, यदि कोई हो तो, हट सकने के लिए पर्याप्त अवसर दिया जायेगा।

[तीन] जहाँ तक ऐसे प्रयोजन की आवश्यकताओं के अनुरूप हो जिसके लिए प्रवेश किया गया है। प्रविष्ट की गयी भूमि या भवन के अध्यासियों के सामाजिक और धार्मिक उपयोगिताओं की ओर सम्यक् ध्यान दिया जायेगा।

**26—भुगतान की रीति**—(1) अनुसूची-2 में विनिर्दिष्ट वार्षिक अनुज्ञा शुल्क एकल किश्त में अथवा दो समान किस्तों में संदेय होगा। बिना देय धनराशि जमा किये एवं बिना अनुज्ञा प्राप्त किये कोई विज्ञापन पट्ट या विज्ञापन परिनिर्मित/संप्रदर्शित नहीं किया जायेगा। प्रथम किस्त वित्तीय वर्ष प्रारम्भ होने अथवा स्वीकृति के समय जो पूर्व हो, तथा दूसरी किस्त 30 सितम्बर के पूर्व देय होगी।

(2) यदि कोई विज्ञापन छः माह से कम अवधि हेतु प्रदर्शित किया जाता है तो अनुज्ञा शुल्क अनुसूची-2 में अंकित दरों की 50 प्रतिशत धनराशि के बराबर देय होगा।

(3) किसी विशेष प्रयोजन हेतु यदि किसी विज्ञापन को तीन माह अथवा उससे कम अवधि हेतु प्रदर्शित करता है तो अनुज्ञा शुल्क की दरे अनुसूची-2 में अंकित दरों पर मासिक आधार पर एक किस्त में देय होंगी।

**27—क्षेत्रों का वर्गीकरण**—विज्ञापनों पर अनुज्ञा शुल्क के प्रयोजनार्थ प्रतिषिद्ध क्षेत्र व अन्य क्षेत्रों के वर्गीकरण का विनिश्चय नगर आयुक्त द्वारा निम्नलिखित वर्गों में किया जायेगा—

(एक) निषिद्ध श्रेणी क्षेत्र

(दो) 'अ' श्रेणी क्षेत्र

(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र

(एक) [क] निजी भूमि भवन एवं सार्वजनिक स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत किसी भी प्रकार के विज्ञापन प्रचार हेतु निषिद्ध क्षेत्र—

- महात्मा गांधी मार्ग-डी०एम० आवास से हजरतगंज चौराहा-राज भवन (गवर्नर हाउस), वी०वी०आई०पी० गेस्ट हाउस होते हुए कटाई पुल तक;
- विधानसभा मार्ग-हजरतगंज चौराहा होते हुए रॉयल होटल चौराहे तक;
- बापू भवन चौराहा से विधानसभा-एनेकसी भवन होते हुए लालबत्ती चौराहे तक;
- विधान सभा, एनेकसी भवन, बापू भवन व राजभवन के आसपास;
- नया हाईकोर्ट के चारों ओर;
- गोल्फ क्लब चौराहा से विक्रमादित्य चौराहे तक;

(ख) स्थल विज्ञापन के अन्तर्गत होडिंग एवं यूनीपोल हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र—

- अशोक मार्ग हजरतगंज चौराहे से सिंकदर बाग चौराहे तक।
- ऐतिहासिक और राष्ट्रीय पुरातात्त्विक स्मारकों के आस-पास, विधान सभा भवन के चारों ओर।
- मा० उच्च न्यायालय के आस-पास।
- अमौसी एयरपोर्ट नये मोड से अवध अस्पताल तक एवं वी०आई०पी० रोड होते हुये जेल रोड पर इक्वाकुपुरी कालोनी तक।
- विश्वविद्यालय मार्ग, आई०टी० चौराहे से पुलिस लाइन के मुख्य द्वार तक।
- शहर के समस्त मुख्य चौराहे एवं मुख्य चौराहों से चारों ओर 20 मीटर तक।
- शहीद पथ तथा राष्ट्रीय राजमार्ग/भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व वाले मार्ग।
- कालिदास मार्ग से 1090 चौराहे तक।

नगर आयुक्त वी.वी.आई.पी. मूवमेंट, यातायात एवं सुरक्षा की दृष्टि से तथा भविष्य में मेट्रो रेल हेतु निर्धारित रुट पर पिलर के निर्माण को दृष्टिगत रखते हुए किसी भी क्षेत्र को प्रचार हेतु प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किये जाने के लिये अधिकृत होंगे।

(दो) अ' श्रेणी क्षेत्र —

- एयरपोर्ट बाउन्ड्रीवाल कानपुर रोड से अवध चौराहा आलमबाग वी.आई.पी. रोड, इक्वाकुपुरी कालोनी (कैन्ट), आलमबाग मवइया, चारबाग तक।
- निशातगंज उपरिगामी पुल के दोनों ओर गोल चौराहे महानगर कोतवाली होते हुए क्लासिक चौराहा, कार्मल स्कूल महानगर, बादशाह नगर चौराहा से इन्दिरा नगर (फैजाबाद रोड) एच.ए.एल. होते हुए पॉलिटेक्निक चौराहा तक।

- नेहरु वाटिका से नगर निगम जोन-३ कार्यालय होते हुए कपूरथला चौराहा, मन्दिर मार्ग, गोल मार्केट (महानगर) रिटॉर्ज, क्लासिक चौराहा तक।
- परिवर्तन चौक से हनुमान सेतु से विश्वविद्यालय मार्ग आई.टी. चौराहा होते हुए निशातगंज उपरिगामी पुल तक।
- आई०टी० चौराहा से उपरिगामी पुल होते हुए कपूरथला चौराहा तक।
- परिवर्तन चौक से पक्का पुल ट्रॉमा सेन्टर शाहमीना रोड कसाई वाला पुल मेडिकल कालेज से चौक चौराहे तक, कन्वेशन सेन्टर से बुद्धा पार्क होते हुए टीले वाली मस्जिद तक।
- लोहिया पथ— गोल्फ क्लब चौराहा से १०९० चौराहा से समतामूलक चौराहा से लोहिया चौराहा होते हुए उपरिगामी सेतु के दोनों ओर पालीटेक्निक चौराहे तक।
- गाँधी सेतु से अम्बेडकर उद्यान होते हुए सी.एम.एस., मनोज पाण्डे चौराहे से पत्रकारपुरम चौराहा होते हुए हुसेडिया चौराहा तक।
- सी०एम०एस० चौराहा से दयाल पैराडाइज से ग्वारी चौराहा होते हुए हुसेडिया चौराहा तक, ग्वारी चौराहा से होते हुए पत्रकारपुरम तक। लोहिया उपरिगामी पुल के नीचे से होते हुए मनोज पाण्डे चौराहा तक।
- शाहनजाफ रोड हजरतगंज से सहारागंज तक। सपूर्ण मार्ग, एस.एस.पी. आवास से इंदिरा भवन तिराहे तक।
- लालबाग रिथ्ट बिलोकनाथ मार्ग नावेल्टी सिनेमा तक (नगर निगम कार्यालय के सामने वाली रोड), बस्त तिराहे से भोपाल हाउस होते हुए नावेल्टी सिनेमा तक।

(तीन) 'ब' श्रेणी क्षेत्र—

- मेडिकल कालेज चौराहा से नक्खास से हैदरगंज से उपरिगामी पुल से आर.डी.एस.ओ. डोते हुए आलमबाग चौराहे तक।
- हुसैनगंज चौराहे से बासमण्डी नाका डी.ए.वी. कालेज, ऐश्वाग उपरिगामी पुल होते हुए हैदरगंज चौराहा।
- सदर उपरिगामी सेतु से बलिंगटन चौराहा होते हुए कैसरबाग चौराहा तक, बापू भवन चौराहा से कैसरबाग चौराहा अमीनावाद, बारादरी कैसरबाग से लाटूश रोड होते हुए चारबाग तक। हुसैनगंज चौराहे से हीवेट रोड होते हुए लाटूश रोड तक।
- पॉलिटेक्निक चौराहे से मुंशी पुलिया चौराहे से खुर्रम नगर चौराहा-टेढ़ी पुलिया चौराहा-इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से आई.आई.एम. तिराहा होते हुए नगर निगम सीमा तक।
- इंजीनियरिंग कालेज चौराहे से राम-राम बैंक चौराहे, सेक्टर क्यू. ब्राउन बैंकरी होते हुए पुरनिया चौराहे तक एवं पुरनिया उपरिगामी पुल से पुरनिया चौराहे से केन्द्रीय भवन एवं ईदगाह होते हुए डंडहिया तक,
- लोक सेवा आयोग से नेहरु वाटिका होते हुए निराला नगर पलाई ओवर, आठ नम्बर चौराहा निराला नगर, रामकृष्ण मठ तक,

- आई.टी. चौराहे से डालीगंज पुल तक।
- पिकप गोमती नगर से होते हुये लोहिया अस्पताल, इंदिरा प्रतिष्ठान, शहीद पथ के नीचे से गोमती नगर फेज-2 के विभिन्न खण्ड,
- फैजाबाद रोड पॉलीटेक्निक चौराहा से मटियारी चौराहा होते हुए नगर निगम सीमा तक,
- हुसड़िया चौराहा जोन-4 कार्यालय से हनीमैन चौराहा से उपरिगामी पुल होते हुए चिनहट तिराहा तक,
- स्टेडियम के बगल से स्टेट बैंक होते हुए लामार्टीनियर गर्ल्स स्कूल होते हुए नेशनल कॉलेज तिराहा तक,
- राणा प्रताप मार्ग से क्लार्क अवध होटल तिराहा से नेशनल कॉलेज से दैनिक जागरण चौराहा होते हुए लोहिया पथ तक,
- तिलक मार्ग, राणा प्रताप मार्ग से बालू अड्डा से वैकुन्थधाम होते हुए नेशनल कॉलेज तिराहा तक, जापलिंग रोड, मदन मोहन मालवीय मार्ग, बटलर पैलेस तिराहे तक।
- रायबरेली रोड कैन्ट तेलीबाग से पी.जी.आई. होते हुए नगर निगम सीमा तक।
- मवैया तिराहे से फ्लाई ओवर आटा मिल रोड होते हुए एवरेडी तिराहे तक,
- अमर शहीद पथ-फैजाबाद रोड पर कमता तिराहे से कानपुर रोड तक,
- कानपुर रोड पर अवध अस्पताल चौराहे से बुद्धेश्वर चौराहा होते हुए हरदोई रोड (दुबग्गा बाईपास) दुबग्गा से आई०आई०एम० तिराहा होते हुए सीतापुर रोड तक।
- सीतापुर रोड पक्के पुल से मडियॉव होते हुए इंजीनियरिंग कॉलेज उपरिगामी पुल तक,
- कानपुर रोड, नादरगंज मोड से स्कूटर इंडिया होते हुए नगर निगम सीमा तक,
- कानपुर रोड से फीनिक्स मॉल से पॉवर हाउस चौराहे से बिजली पासी चौराहा होते हुए खजाना चौराहा तक,
- बंगला बाजार चौराहे से नहर किनारा (सर्विस लेन) से पकरी पुल होते हुए कानपुर रोड,
- पकरी पुल से पॉवर हाउस चौराहा होते हुए अम्बेडकर अँडिटोरियम तक,
- बंगला बाजार चौराहे से नहर होते हुए रायबरेली रोड तक,
- (राष्ट्रीय राजमार्ग / राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के स्वामित्व के अधीन मार्गों पर कोई भी अनुज्ञा सम्बन्धित विभाग से अनापत्ति प्राप्त होने के बाद दी जा सकेगी)

(चार) 'स' श्रेणी क्षेत्र—

- चौक चौराहे से ठाकुरगंज, बालागंज, दुबग्गा सब्जी मण्डी तक, आलमनगर-बुद्धेश्वर चौराहे तक,

- कुर्सी रोड टेढ़ी पुलिया से विकास नगर अलीगंज, कुर्सी रोड पर मानस काम्प्लेक्स से मामा चौराहा होते हुए टेढ़ी पुलिया चौराहा तक,
- कैजावाद रोड तथा रिंग रोड (मुख्य मार्ग) को छोड़कर अन्दर का सम्पूर्ण इन्दिरा नगर क्षेत्र।
- खुरम नगर चौराहे से रहीम नगर चौराहा वायरलेस व्लासिक चौराहे तक,
- 'आ' एवं 'ब' श्रेणी से अनाच्छादित गोमती नगर, इंदिरा नगर, विकास नगर, अलीगंज, जानकीपुरम, राजाजीपुरम, बंगला बाजार, आशियाना, एल.डी.ए. कॉलोनी, वृदावन योजना के समस्त खण्ड क्षेत्र के समस्त क्षेत्र।
- शहीद स्मारक से कैसरवांग बस अड्डा।
- कालोनी तथा मोहल्ले की मुख्य मार्गों को छोड़कर अन्दर वाला भाग तथा ऐसे क्षेत्र जो ऊपर उल्लिखित नहीं हैं (प्रतिवर्धित क्षेत्रों को छोड़कर)।

**28—हटाये जाने की लागत—नियम 12 के उप नियम (1) में निर्दिष्ट किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को हटाने या साफ किये जाने की लागत निम्नवत् होगी—**

	रु०
(क) 6.1 × 3.05 मीटर या उससे कम के विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट के हटाने की वास्तविक लागत	10,000.00
(ख) ऊपर खण्ड (क) में निर्दिष्ट विज्ञापनों या विज्ञापन पट्टों से भिन्न किसी विज्ञापन एवं विज्ञापन पट्ट को हटाने की लागत	15,000.00
(ग) किसी विज्ञापन या विज्ञापन पट्ट को साफ करने की लागत	5,000.00
(घ) निजी भवन पर (छत के ऊपर) किसी विज्ञापन को हटाने की लागत	30,000.00

**29—अपराधों के लिये दण्ड और उनका प्रशमन—(1) इस उपविधि के उपबन्धों का किसी प्रकार का उल्लंघन ऐसे जुर्माने से जो रु० 10,000.00 (दस हजार रुपये) तक हो सकता है और उल्लंघन करते रहने की दशा में, प्रथम उल्लंघन की दोष सिद्धि के पश्चात, प्रत्येक ऐसे दिन के लिए, जिस दौरान ऐसा उल्लंघन जारी रहा हो, ऐसे जुर्माने से, जो रु० 500.00 (पाँच सौ रुपये) प्रतिदिन तक हो सकता है, दण्डनीय होगा।**

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस उपविधि के अधीन दण्डनीय किसी अपराध को अपराध के लिए निर्धारित धनराशि के आधे से अन्यून और तीन चौथाई से अनधिक धनराशि वसूल करने पर नगर आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा प्रशमित किया जा सकता है।

आवश्यकता पड़ने पर उपविधि में संशोधन—उपविधि में अन्य बातों के होते हुए भी यदि भविष्य में किसी नियम अथवा उसके किसी अंश में अथवा विज्ञापन अनुज्ञा शुल्क की दरों में संशोधन की आवश्यकता पत्तीच होती है तो कार्यकारिणी समिति / नगर निगम रादन उक्त उपविधि में संशोधन करने के लिए अधिकृत होंगी / होगा।

प्रपत्र सं०

मूल्य रु० 1,000.00

## अनुसूची-१

(नियम 6(1) देखें)

विज्ञापन चिन्ह स्थापित करने की अनुमति हेतु आवेदन-पत्र

- 1—आवेदक/विज्ञापनकर्ता का नाम .....
- 2—अभिकरण, प्रतिष्ठान, कम्पनी या संस्था का नाम .....
- 3—पता .....
- 4—आवेदित विज्ञापन या विज्ञापन पट का प्रकार .....
- 5—विज्ञापन या विज्ञापन पट का आकार (लम्बाई × चौड़ाई मीटर में) .....
- 6—स्थल नक्शा सहित स्थल की अवस्थिति .....
- 7—भूमि, भवन या स्थान के स्वामी या निवासी का नाम .....
- .....
- 8—क्या यह सार्वजनिक स्थल है या व्यक्तिगत भूमि या भवन है ? .....
- 9—(एक) यदि निजी स्थल या भवन है तो स्वामित्व प्रमाण-पत्र के साथ भू/भवन स्वामी की लिखित अनुमति, विकास प्राधिकरण/आवास विकास परिषद का अनापत्ति प्रमाण-पत्र संलग्न करें।
- (दो) भू/भवन स्वामी द्वारा इस आशय का वचन-पत्र, कि विज्ञापनकर्ता की चूक की दशा में वह देय अनुज्ञा शुल्क के भुगतान का दायी होगा, संलग्न करें।
- (तीन) नगर आयुक्त द्वारा अनुमोदित संरचना अभियन्ता (Structure Engineer) द्वारा दिया गया भवन के भार वहन क्षमता सम्बन्धी रिपोर्ट।
- 10—(एक) अनुसूची-२ के अनुसार वार्षिक अनुज्ञा शुल्क .....
- (दो) किश्त की धनराशि .....
- 11 देय प्रीमियम/नवीनीकरण अनुज्ञा शुल्क .....
- 12—कोई अन्य विवरण .....
- .....

संलग्नक:

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर

दूरभाष न०

मोबाइल न०

## अनुसूची-2

(नियम 26 देखें)

विज्ञापन और विज्ञापन पट पर अनुज्ञा शुल्क की दरें

1—निगम द्वारा स्वामित्वाधीन सार्वजनिक स्थलों और सड़कों पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए—

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) "अ" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 2,400.00 (दो हजार चार सौ) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (2) "ब" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष        |
| (3) "स" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 1,600.00 (एक हजार छः सौ) प्रति वर्ग मीटर प्रतिवर्ष |

2—एक रुमा (यूनीपोल) पर विज्ञापन पट—

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) "अ" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (2) "ब" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (3) "स" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष  |

3—विद्युत पोल/ट्री-गॉड्ड/फ्लॉवर पॉट/जन सुविधा पर विज्ञापन पट—

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| (1) "अ" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (2) "ब" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (3) "स" श्रेणी क्षेत्र : | रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष  |

4—बस शेल्टर/पुलिस बूथ/ट्रैफिक आईलैण्ड/कैन्ट्रीलीवर पोल (ट्रैफिक सिग्नल)/गैन्ट्री :-

- |                        |   |
|------------------------|---|
| (1) अ श्रेणी क्षेत्र : | रु० 5,000.00 (पाँच हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष |
| (2) ब श्रेणी क्षेत्र : | रु० 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष  |
| (3) स श्रेणी क्षेत्र : | रु० 3,000.00 (तीन हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष  |

5— (1) एल० ई० डी० स्क्रीन के माध्यम से संचालित विज्ञापन हेतु उपरोक्त क्रम संख्या 1 से 4 तक निर्दिष्ट दरों पर 100 प्रतिशत अतिरिक्त अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

(2) निजी भूमि/भवनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों हेतु निर्दिष्ट दरों का 65 प्रतिशत अनुज्ञा शुल्क देय होगा।

6— (1) निजी भूमि/भवन, दीवार पर विज्ञापन या विज्ञापन पट के निर्माण और प्रदर्शन के लिए अनुज्ञा शुल्क की दरें—

क्रम सं०	माप वर्ग फिट	निर्धारित अनुज्ञा शुल्क
1	200 से 300 वर्गफिट माप तक	20,400.00
2	301 से 600 वर्गफिट माप तक	40,800.00
3	601 से 1200 वर्गफिट माप तक	81,600.00
4	1200 से अधिक 1800 वर्गफिट माप तक	1,02,000.00

- 6— (1) शक्ति चालित चार पहिया वाहन पर विज्ञापन (सड़क प्रदर्शन को छोड़कर)
- (एक) हल्का वाहन : रु० 10,000.00 (दस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (दो) भारी वाहन : रु० 40,000.00 (चालीस हजार) प्रतिवर्ष प्रति वाहन
- (2) सड़क प्रदर्शन निम्नलिखित दर पर—
- (एक) तीन पहिया : रु० 300.00 (तीन रु०) प्रति दिन
- (दो) चार पहिया : रु० 1,000.00 (एक हजार) प्रति दिन
- (तीन) छः पहिया : रु० 1,500.00 (एक हजार पाँच सौ) प्रति दिन
- 7— पोस्टर : रु० 1,000.00 (एक हजार) प्रति सैकड़ा
- 8— पर्चा (हैण्ड बिल) : रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रति हजार
- 9— पताका (बैनर) : रु० 200.00 (दो सौ) प्रति बैनर
- 10— गुब्बारे : रु० 1,000.00 (एक हजार) प्रतिदिन
- 11— छतरी (कैगोपी) : रु० 300.00 (तीन सौ) प्रतिदिन
- 12— आटो रिक्शा थी-व्हीलर : रु० 2,000.00 (दो हजार) प्रतिवर्ष प्रति आटो
- 13— बसों पर : रु० 4,000.00 (चार हजार) प्रति वर्गमीटर प्रतिवर्ष
- 14— दीवारों पर वॉल राइटिंग – अनुज्ञा शुल्क की दर मद संख्या १ के अनुसार
- 15— रेलवे की जमीन पर लगाने वाली होड़िंग जिसका भाग सड़क के समुख होने की दशा में अनुसूची-२ में अंकित अनुज्ञा शुल्क की दरों के क्रमांक-१ के अनुसार ७५ प्रतिशत देय होगा।
- 16— उत्सव, मेला, प्रदर्शनी, सर्कस तथा इस प्रकार जनता को आकर्षित करने वाले प्रदर्शन पर न्यूनतम ३ माह का अनुज्ञा शुल्क मद संख्या १ के अनुसार लिया जायेगा।
- 17— ध्वनि विस्तारक यंत्र : रु० 200.00 प्रति बाक्स/स्पीकर प्रति दिन
- 18— जिन मढ़ों का उल्लेख ऊपर नहीं किया गया है उनका अनुज्ञा शुल्क क्रमांक-१ के अनुसार देय होगा।